



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक: 2801 / अका. / वि.परि. / 2024

रायपुर, दिनांक : 04/03/2024

विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की मंगलवार, दिनांक 05.03.2024 को मध्याह्न 12:00 बजे आयोजित बैठक की विषयसूची

- विद्यापरिषद् की बैठक, दिनांक 27.06.2023 के कार्यवृत्त को संपुष्टि प्रदान करना।
टीप :- कार्यवृत्त की छायाप्रति संलग्न। (पृष्ठ क्र. 01 से 05)
- विद्यापरिषद् की बैठक, दिनांक 27.06.2023 के कार्यवाही विवरण के पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण करना।
टीप: विद्यापरिषद् की बैठक दिनांक 07.10.2021 के पालन प्रतिवेदन के पूरक विषय सूची क्रमांक 5 की जानकारी के संबंध में चंद्रपाल डडसेना शासकीय महाविद्यालय, पिथौरा, जिला-महासमुंद को जारी आदेश क्रमांक 1501/अका./सम्बद्धता/2022 दिनांक 11.04.2022 एवं विद्यापरिषद् की बैठक, दिनांक 27.06.2023 के कार्यवाही विवरण के पालन प्रतिवेदन सूचनार्थ प्रस्तुत है।
- विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 03.08.2023, 16.08.2023, 21.09.2023, 19.12.2023, 29.01.2024 एवं 18.02.2024 के कार्यवृत्त को अनुमोदन प्रदान करना।
टीप : कागज रहित कार्य के दिशा में पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय का एक प्रयास- 03.08.2023, 16.08.2023, 21.09.2023, 19.12.2023, 29.01.2024 एवं 18.02.2024 के कार्यवृत्त को E-mail के माध्यम से प्रेषित किया जा रहा है।
- निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन के आधार पर निम्नलिखित महाविद्यालय को उनके नाम के सम्मुख दर्शित कक्षा/विषय, छात्र-संख्या एवं सत्रानुसार अस्थायी संबद्धता दिए जाने के संबंध में विस्तृत टीप के साथ, सूची निम्नानुसार है -

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य
i.	शहीद नंदकुमार पटेल शासकीय महाविद्यालय, बीरगांव, जिला-रायपुर	B.Sc.-I-Botany	90	2023-24	1. डॉ. एस.के. जाधव, बायोटेक्नालॉजी अ.शा. पं.र.शु.वि. वि. रायपुर 2. डॉ. के.के. साहू, बायोटेक्नालॉजी अ.शा. पं.र.शु.वि.वि. रायपुर 3. डॉ. एस.जे. डहरवाल, फार्मसी संस्थान पं.र.शु.वि.वि. रायपुर

- कागज रहित कार्य प्रणाली से समय की बचत एवं पर्यावरण की सुरक्षा।
- पेपर वर्क कम कर डिजिटल से जुड़ें। सभी जागरूक हों कागज का उपयोग कम से कम हो।

निरीक्षण तिथि : 10.02.2024 1. समिति/संस्था के पंजीयन की वैधता – Not applicable 2. समिति के नाम अविवादित स्वामित्व एवं कब्जे की भूमि – Not applicable 3. इंडोमेंट फंड में जमा की गई राशि – NA 4. शासी निकाय के अध्यक्ष/सचिव के कार्यकाल की अंतिम वैधता तिथि – Not applicable 5. महाविद्यालय स्वयं के भवन में संचालित है अथवा नहीं – Yes 6. महाविद्यालय भवन मानदंड के अनुरूप कक्षों की उपलब्धता – Yes 7. यदि प्रस्तावित पाठ्यक्रम में प्रायोगिक विषय शामिल हो तो प्रयोगशाला हेतु कक्षों की उपलब्धता – Separate laboratory will be required. 8. प्रयोगशाला हेतु उपकरणों की उपलब्धता – Equipments, Chemicals Samples, etc. are required 9. प्रस्तावित पाठ्यक्रम के लिए विषयवार शिक्षकों की पर्याप्तता/आवश्यकता – Faculty is required. 10. ग्रंथपाल एवं ग्रंथालय में प्रस्तावित पाठ्यक्रम से संबंधित पुस्तकों की उपलब्धता/आवश्यकता – Librarian and books are required. 11. महाविद्यालय में उपलब्ध अन्य सुविधाएँ – Basic facilities are available. 12. यदि द्वितीय/तृतीय वर्ष की कक्षाओं की संबद्धता निरीक्षण हो तो पूर्व में निरीक्षण समिति द्वारा बताई गई कमियों एवं दिए गए सुझावों कि क्या सभी शर्तें पूर्ण कर ली गई है ? – Not applicable 13. अन्य कोई महत्वपूर्ण तथ्य जो निरीक्षण समिति उल्लेखित करना चाहें – Teacher, books, etc., are needed. 14. कृपया उन कमियों का स्पष्ट उल्लेख करें जिन्हें संबद्धता प्रदान किए जाने की स्थिति में शर्त के रूप में मान्य किया जा सके – • Separate lab is needed. • Books are required. • Teacher is required. • Equipment chemicals, Samples are required.					
क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य
ii.	शहीद नंदकुमार पटेल शासकीय महाविद्यालय, बीरगांव, जिला-रायपुर	PG Diploma in Yoga and Philosophy M.S.W.	20 20	2020-21	1. डॉ. ए.के. श्रीवास्तव, प्रबंध संस्थान पं.र.शु.वि.वि. रायपुर 2. डॉ. राजीव चौधरी, शारीरिक शिक्षा अ.शा. पं.र.शु.वि.वि. रायपुर 3. डॉ. एल.एस. गजपाल, समाजशास्त्र अ.शा. पं.र.शु.वि.वि. रायपुर
निरीक्षण तिथि : 10.02.2024 1. समिति/संस्था के पंजीयन की वैधता – हाँ 2. समिति के नाम अविवादित स्वामित्व एवं कब्जे की भूमि – 1,51653 वर्ग फीट 3. इंडोमेंट फंड में जमा की गई राशि – 45 लाख 4. शासी निकाय के अध्यक्ष/सचिव के कार्यकाल की अंतिम वैधता तिथि – 22-10-2024 5. महाविद्यालय स्वयं के भवन में संचालित है अथवा नहीं – हाँ 6. महाविद्यालय भवन मानदंड के अनुरूप कक्षों की उपलब्धता – हाँ 7. यदि प्रस्तावित पाठ्यक्रम में प्रायोगिक विषय शामिल हो तो प्रयोगशाला हेतु कक्षों की उपलब्धता – N.A.					

1.	कागज रहित कार्य प्रणाली से समय की बचत एवं पर्यावरण की सुरक्षा।
2.	पेपर वर्क कम कर डिजिटल से जुड़ें। सभी जागरूक हों कागज का उपयोग कम से कम हो।

8. प्रयोगशाला हेतु उपकरणों की उपलब्धता – N.A.
9. प्रस्तावित पाठ्यक्रम के लिए विषयवार शिक्षकों की पर्याप्तता/आवश्यकता – प्रस्तावित प्रत्येक पाठ्यक्रम हेतु 02-02 शिक्षकों की आवश्यकता होगी।
10. ग्रंथपाल एवं ग्रंथालय में प्रस्तावित पाठ्यक्रम से संबंधित पुस्तकों की उपलब्धता/आवश्यकता – ग्रंथपाल नियुक्त है। प्रस्तावित पाठ्यक्रम हेतु पुस्तकों की क्रय हेतु आर्डर संलग्न है।
11. महाविद्यालय में उपलब्ध अन्य सुविधाएँ – महाविद्यालय में आधारभूत सुविधाएँ उपलब्ध है।
12. यदि द्वितीय/तृतीय वर्ष की कक्षाओं की संबद्धता निरीक्षण हो तो पूर्व में निरीक्षण समिति द्वारा बताई गई कमियों एवं दिए गए सुझावों कि क्या सभी शर्तें पूर्ण कर ली गई है ? – N.A.
13. अन्य कोई महत्वपूर्ण तथ्य जो निरीक्षण समिति उल्लेखित करना चाहें – छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक 74/2020/38-2, रायपुर दि. 02.08.2020 के शर्त क्र. 9 के अनुसार शासन द्वारा जारी किया गया। आदेश शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए ही मान्य होगा।
14. कृपया उन कमियों का स्पष्ट उल्लेख करें जिन्हें संबद्धता प्रदान किए जाने की स्थिति में शर्त के रूप में मान्य किया जा सके –
1. विषयवार 02-02 शिक्षकों की नियुक्ति आवश्यक है।
2. प्रस्तावित पाठ्यक्रम के अनुरूप पुस्तकें क्रय की जाए।

5. स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम आदर्श महाविद्यालय, महासमुंद, जिला-महासमुंद को जारी सम्बद्धता आदेश में संशोधन के संबंध में विचार करना।

टीप : स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम आदर्श महाविद्यालय, महासमुंद, जिला-महासमुंद का पत्र क्र. 63/सम्बद्धता/2024 महासमुंद, दिनांक 28.02.2024 के द्वारा आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, ब्लॉक-3 द्वितीय/तृतीय तल, इन्द्रावती भवन नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर का पत्र क्र. 258/32/आउशि/योजना/2023 दिनांक 11.08.2023 के द्वारा कक्षा बी.ए. (कला संकाय) में 90 सीट के स्थान पर 60 एवं बी.काम. (वाणिज्य संकाय) में 60 सीट के स्थान पर 90 सीट किया गया है।

विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 18.02.2024 के बिंदु क्रमांक 3(iii) के परिपालन में जारी सम्बद्धता आदेश क्र. 2759/अका./सम्बद्धता/2024 दिनांक 28.02.2024 में आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग के उक्त आदेशानुसार कक्षा बी.ए. (कला संकाय) में 90 सीट के स्थान पर 60 एवं बी.काम. (वाणिज्य संकाय) में 60 सीट के स्थान पर 90 सीट संशोधित आदेश जारी किए जाने हेतु माननीय विद्यापरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

6. संगीत एवं नृत्य अध्ययन मण्डल का नाम परिवर्तित कर "संगीत, नृत्य, ड्राईंग एवं पेंटिंग" किए जाने पर विचार करना।

टीप : विश्वविद्यालय परिनियम क्रमांक 10 की कण्डिका (1) कला संकाय की उपकण्डिका (9) में "संगीत, नृत्य, ड्राईंग एवं पेंटिंग का उल्लेख है। अतः परिनियम क्रमांक 10 के अनुसार संगीत एवं नृत्य अध्ययन मण्डल का नाम परिवर्तित कर "संगीत, नृत्य, ड्राईंग एवं पेंटिंग" किए जाने हेतु विचारार्थ प्रस्तुत है।

- | |
|--|
| 1. कागज रहित कार्य प्रणाली से समय की बचत एवं पर्यावरण की सुरक्षा। |
| 2. पेपर वर्क कम कर डिजिटल से जुड़ें। सभी जागरूक हों कागज का उपयोग कम से कम हो। |

7. डॉ. मोनिका शर्मा द्वारा NET Exemption Certificate के लिए प्रस्तुत आवेदन दिनांक 15.02.2024 के संबंध में विचार करना। (पृष्ठ क्र. 06 से 07)

टीप : दिल्ली विश्वविद्यालय में सहायक प्राध्यापक पद पर आवेदन करने हेतु डॉ. मोनिका शर्मा द्वारा NET Exemption Certificate की माँग की गई है। इस विश्वविद्यालय से पूर्व में जारी Certificate दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा अमान्य कर दिया गया है।

रेगुलेशन-2009 की कंडिका-20 का प्रावधान निम्नानुसार है -

"Alongwith the Degree, the Degree awarding University, Institution, Deemed to be University College/Institution of national Importance, as the case may be, shall issue a Provisional Certificate certifying to the degree has been awarded in accordance with the provisions to these Regulations of the UGC."

उपरोक्तानुसार प्रमाण-पत्र जो कि विद्या परिषद् की स्थायी समिति दिनांक 03.06.2014 द्वारा गठित चार सदस्यीय समिति द्वारा दिए गए प्रारूप के अनुसार आवेदिका को पूर्व में दिया जा चुका है। आवेदिका द्वारा रेगुलेशन 2016 अनुसार 05 बिन्दु वाला प्रमाण-पत्र की माँग की गई है जो पी-एच.डी. पंजीयन हेतु रेगुलेशन 2009 लागू होने के पूर्व पंजीकृत हुए शोधार्थियों के लिए यू.जी.सी. द्वारा प्रावधानित है।

यू.जी.सी. अधिसूचना 4 मई, 2016 (भारत का राजपत्र) शिक्षकों एवं अकादमिक स्टाफ की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हताएँ एवं उच्च शिक्षा मानकों के अनुरक्षण हेतु उपाय (तृतीय संशोधन) विनियम 2016 का बिंदु क्रमांक 3.3.1 संलग्न है। माननीय विद्यापरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

8. सत्र 2024-25 से साहित्य एवं भाषा अध्ययनशाला के अंतर्गत संस्कृत पाठ्यक्रम प्रारंभ किए जाने के संबंध में विचार करना।

टीप : वर्तमान में साहित्य एवं भाषा अध्ययनशाला के अंतर्गत निम्नलिखित पाठ्यक्रम संचालित हो रहे हैं-

1. एम.ए. - भाषा विज्ञान, हिंदी अँगरेजी, छत्तीसगढ़ी
2. एम.फिल - भाषाविज्ञान, हिंदी, अँगरेजी
3. डिप्लोमा - अँगरेजी, फ्रेंच, डिप्लोमा इन सिंधी
(जरमन, रशियन कुछ वर्षों से स्थगित)
4. सर्टिफिकेट - अनुवाद

संस्थान के अंतर्गत विभिन्न भाषाओं का अध्यापन कराया जाएगा। जिसके अंतर्गत इस सत्र से एम.ए. संस्कृत विषय का अध्ययन-अध्यापन का कार्य प्रारंभ किया जाना है। इस विषय में कुल 20 सीट में प्रवेश हेतु प्रावधान किया जाना है। वर्तमान में इस पाठ्यक्रम का अध्यापन कार्य अतिथि प्राध्यापकों के द्वारा कराया जाएगा। संस्कृत विषय में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम को सत्र 2024-25 से साहित्य एवं भाषा अध्ययनशाला के अंतर्गत संचालित किया जाएगा। माननीय विद्यापरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

- | | |
|----|---|
| 1. | कागज रहित कार्य प्रणाली से समय की बचत एवं पर्यावरण की सुरक्षा। |
| 2. | पेपर वर्क कम कर डिजिटल से जुड़ें। सभी जागरूक हों कागज का उपयोग कम से कम हो। |



9. विश्वविद्यालय के समस्त अध्ययन मंडलों में विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में औद्योगिक क्षेत्र/NGO/सामाजिक क्षेत्र से आवश्यकतानुसार सदस्यों का मनोनयन किए जाने के संबंध में विचार करना।

10. मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड (MECL), नागपुर के साथ MoU के प्रस्ताव पर विचार करना।

टीप : डॉ. सीएच श्रीरामा मूर्ति, महाप्रबंधक (एचआर), खनिज अन्वेषण और परामर्श लिमिटेड, नागपुर के द्वारा MoU के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है। एमओयू का उद्देश्य सशुल्क इंटर्नशिप किया जाना है। MECL के परिचालन क्षेत्रों अर्थात् भूभौतिकी, भूविज्ञान, रसायन विज्ञान, प्रोग्रामिंग में और व्यवसाय विकास में है।

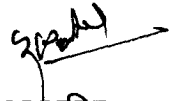
डॉ. सीएच श्रीरामा मूर्ति ने समझौता ज्ञापन की एक Draft प्रति प्रेषित की है। यह MoU मुख्यतः भूविज्ञान, रसायन विज्ञान कंप्यूटर विज्ञान और प्रबंधन, जैसे विभिन्न विषयों में इंटर्नशिप प्रदान करता है। NEP 2020 में भी छात्रों को इंटर्नशिप में भाग लेने में बल दिया गया है। पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय एवं मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड (MECL), नागपुर के साथ MoU के लिए माननीय विद्यापरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

11. Atomic Minerals Directorate for Exploration and Research (AMD) के साथ AKRUTI (Advanced Knowledge and Rural Technology Implementation initiative) स्थापित करने के संबंध में विचार करना। (पृष्ठ क्र. 08)

12. सत्र 2023-24 के लिए निम्नलिखित महाविद्यालयों ने वार्षिक संबद्धता एवं वृद्धि शुल्क की राशि विश्वविद्यालय कोष में जमा कर दी है। वार्षिक संबद्धता आदेश प्रदान करने हेतु प्रकरण विद्यापरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत :-

क्रमांक	अशासकीय महाविद्यालय
1	श्री महंत लालदास कला-विज्ञान एवं शिक्षा महाविद्यालय, टुण्डरानगर, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा

13. अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण पर विचार करना।


कुलसचिव

पृ. क्रमांक: 2802/अका./वि.परि./2024
प्रतिलिपि :

रायपुर, दिनांक : 04/03/2024

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, ब्लॉक-सी-3, द्वितीय एवं तृतीय तल, इंद्रावती भवन, अटल नगर, नवा रायपुर।
2. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर
3. विद्यापरिषद् के समस्त सम्माननीय सदस्यों को।
4. अध्यक्ष, रसायन अध्ययन शाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर।
5. वित्त नियंत्रक/अंकेक्षण विभाग,
6. कुलपति/कुलसचिव के निज सहायक,
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


उप कुलसचिव (अका.)

- | |
|--|
| 1. कागज रहित कार्य प्रणाली से समय की बचत एवं पर्यावरण की सुरक्षा। |
| 2. पेपर वर्क कम कर डिजिटल से जुड़ें। सभी जागरूक हों कागज का उपयोग कम से कम हो। |



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक: 2180/अका./वि.परि./2023

रायपुर, दिनांक : 30/06/2023

विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की बैठक मंगलवार, दिनांक 27.06.2023 को अपराह्न 3:00 बजे प्रशासनिक भवन के कुलपति सचिवालय के बैठक कक्ष में संपन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित हुए :

1. प्रो. सच्चिदानंद शुक्ल, कुलपति	—	अध्यक्ष
2. डॉ. शैल शर्मा	—	सदस्य
3. डॉ. राजीव चौधरी	—	सदस्य
4. डॉ. व्यास दुबे	—	सदस्य
5. डॉ. आर.के. ब्रह्मे	—	सदस्य
6. डॉ. ए.के. श्रीवास्तव	—	सदस्य
7. डॉ. तपेश चंद्र गुप्ता	—	सदस्य
8. डॉ. (श्रीमती) अदिति पोद्दार	—	सदस्य
9. डॉ. (श्रीमती) अभया आर. जोगलेकर	—	सदस्य
10. डॉ. संजय जे. डहरवाल	—	सदस्य
11. डॉ. संजय कुमार	—	सदस्य
12. डॉ. (श्रीमती) पद्मा बोहरे	—	सदस्य
13. डॉ. राजेश श्रीवास	—	सदस्य
14. प्रो. पी.सी. चौधरी	—	सदस्य
15. डॉ. मीना पाठक	—	सदस्य
16. डॉ. एस.एस. दीवान	—	सदस्य
17. डॉ. रोहिणी प्रसाद	—	सदस्य
18. डॉ. प्रभावती शुक्ला	—	सदस्य
19. डॉ. ए.के. परसाई	—	सदस्य
20. डॉ. बशीर हसन	—	सदस्य
21. डॉ. दुर्गा प्रसाद बिसेन	—	सदस्य
22. डॉ. उमा गोले	—	सदस्य
23. डॉ. कविता ठाकुर	—	सदस्य
24. डॉ. निनाद बोधनकर	—	सदस्य
25. डॉ. बी.एस. ठाकुर	—	सदस्य
26. डॉ. (श्रीमती) एस. चक्रवर्ती	—	सदस्य
27. डॉ. पारमिता दुबे	—	सदस्य
28. डॉ. एस.के. प्रसाद	—	सदस्य
29. डॉ. अशोक प्रधान	—	सदस्य
30. डॉ. साधना जायसवाल	—	सदस्य
31. डॉ. एस.के. जाधव	—	सदस्य
32. डॉ. प्रीति के. सुरेश	—	सदस्य
33. डॉ. पुष्पेश पाण्डेय	—	सदस्य

1. कागज रहित कार्य प्रणाली से समय की बचत एवं पर्यावरण की सुरक्षा।
2. पेपर वर्क कम कर डिजिटल से जुड़ें। सभी जागरूक हों कागज का उपयोग कम से कम हो।

34. डॉ. रीता वेणुगोपाल	—	सदस्य
35. डॉ. संध्या वर्मा	—	सदस्य
36. डॉ. (श्रीमती) विनीता अग्रवाल	—	सदस्य
37. डॉ. (श्रीमती) प्रियंवदा श्रीवास्तव	—	सदस्य
38. डॉ. जगेलाल गहरे	—	सदस्य
39. डॉ. के.के. घोष	—	सदस्य
40. डॉ. निस्तर कुजूर	—	सदस्य
41. डॉ. स्वर्णलता सराफ	—	सदस्य
42. डॉ. आरती परगनिहा	—	सदस्य
43. डॉ. आर.के. दुबे	—	सदस्य
44. डॉ. शैलेंद्र कुमार पटेल, कुलसचिव	—	सचिव

कार्यवृत्त

- विद्यापरिषद् की बैठक, दिनांक 07.10.2021 के कार्यवृत्त को संपुष्टि प्रदान करना।

निर्णय: संपुष्टि की गई।

- विद्यापरिषद् की बैठक, दिनांक 07.10.2021 के कार्यवाही विवरण के पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय: बैठक दिनांक 07.10.2021 के कार्यवाही विवरण के पालन प्रतिवेदन के पूरक विषयसूची क्रमांक 05 की जानकारी को आगामी बैठक में प्रस्तुत किए जाने के निर्णय के साथ सूचना ग्रहण की गई।

- विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 02.12.2021, 10.01.2022, 21.01.2022, 25.03.2022, 01.04.2022, 02.06.2022, 15.07.2022, 03.08.2022, 16.08.2022, 30.09.2022, 10.11.2022, 04.01.2023, 16.02.2023, 06.03.2023, 31.03.2023, 27.04.2023, 04.05.2023, 30.05.2023 के कार्यवृत्त को अनुमोदन प्रदान करना।

निर्णय : अनुमोदन किया गया।

- निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन के आधार पर निम्नलिखित महाविद्यालय को उनके नाम के सम्मुख दर्शित कक्षा/विषय, छात्र-संख्या एवं सत्रानुसार अस्थायी संबद्धता दिए जाने के संबंध में विस्तृत टीप के साथ, सूची निम्नानुसार है -

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय	छात्र संख्या	सत्र
i.	शांति निकेतन महाविद्यालय, चंगोराभाठा, रायपुर	BCA Part-III	30	2023-24
निर्णय: निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति 15 दिन के समय-सीमा के अंदर करने हेतु पत्र प्रेषित किया जाए। शर्तों का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर निरीक्षण समिति के पुनः गठन हेतु कुलपति जी को अधिकृत किया गया।				
क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय	छात्र संख्या	सत्र
ii.	शासकीय काव्योपाध्याय हीरालाल महा. अभनपुर, जिला-रायपुर	M.Sc. I/II Sem. Chemistry	20	2023-24
		B.C.A.-III	40	
निर्णय: निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की यथाशीघ्र पूर्ति करने की शर्त पर अस्थायी संबद्धता दिए जाने की अनुशंसा की गई।				

- कागज रहित कार्य प्रणाली से समय की बचत एवं पर्यावरण की सुरक्षा।
- पेपर वर्क कम कर डिजिटल से जुड़ें। सभी जागरूक हों कागज का उपयोग कम से कम हो।

कार्यवृत्त - विद्यापरिषद् की बैठक दिनांक 27.06.2023

5. क्षेत्रीय अध्ययन एवं अनुसंधानशाला शोध केन्द्र में क्षेत्रीय अध्ययन में पी-एच.डी. पुनः प्रारंभ करने के संबंध में विचार करना।

निर्णय: निर्णय लिया गया कि क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर अंतर्विषयी शोध कार्य हेतु मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, प्रबंध, समाजशास्त्र, शिक्षाशास्त्र एवं भूगोल विषयों के शोधार्थी इस शोध केंद्र में इस शर्त के साथ प्रवेश ले सकेंगे, कि विषय से संबंधित नियमित प्राध्यापक ही शोध-निर्देशक हो सकते हैं तथा क्षेत्रीय अध्ययनशाला के प्रभारी अधिकारी शोध-कार्य को मात्र कोआर्डिनेट करेंगे। शोधार्थी के पास यह विकल्प होगा कि वह स्नातकोत्तर से संबंधित विषय अथवा क्षेत्रीय अध्ययन विषय में से किसी एक में शोध उपाधि प्राप्त कर सकेंगे। अन्य अंतर्विषयी शोध कार्य के संचालन के संदर्भ में नीति निर्धारण के संबंध में यथोचित प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु एक समिति के गठन का निर्णय लिया गया। समिति गठन हेतु कुलपति जी को अधिकृत किया गया।

6. सत्र 2023-24 के लिए निम्नलिखित महाविद्यालयों ने वार्षिक संबद्धता एवं वृद्धि शुल्क की राशि विश्वविद्यालय कोष में जमा कर दी है। वार्षिक संबद्धता आदेश प्रदान करने हेतु प्रकरण विद्यापरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत :-

क्रमांक	शासकीय महाविद्यालय
1	सत्य नारायण अग्रवाल शास. कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, कोहका-नेवरा जिला-रायपुर
क्रमांक	अशासकीय महाविद्यालय
1	नेताजी सुभाष महाविद्यालय, ग्राम-बेलभाटा, ब्हाया-अभनपुर, जिला-रायपुर (छ.ग.)
2	सेंट्रल कालेज आफ एजुकेशन, प्लॉट नं.-1131/3, रिंग रोड नं.-3, ग्राम-तुलसी, रायपुर
3	विप्र कला, वाणिज्य एवं शारीरिक शिक्षा महावि., जी.ई. रोड, आमापारा, रायपुर (छ.ग.)
4	प्रगति महाविद्यालय, सेंट्रल एवेन्यु चौबे कालोनी, रायपुर (छ.ग.)
5	विकास शिक्षा महाविद्यालय, सी-191, देवपुरी, फुंडहर मार्ग, रायपुर (छ.ग.)
6	विवेकानंद महाविद्यालय, भानसोज, ब्हाया-मंदिर हसौद, जिला-रायपुर (छ.ग.)
7	प्रतिभा कालेज आफ एजुकेशन, ग्राम-बालसी, सराईपाली, जिला-महासमुंद (छ.ग.)
8	रामकृष्ण इंस्टीट्यूट आफ एजुकेशन, 94, सुंदर नगर, रायपुर (छ.ग.)
9	कचना धुरवा, महाविद्यालय, छुरा (राजिम) जिला-रायपुर (छ.ग.)
10	अलशम्स इंफोटेक कॉलेज, नगरी (सिहावा) जिला-धमतरी
11	श्यामबालाजी कालेज, प्लॉट नं.- 616/89, 716,13,14 ग्राम +पोस्ट-महासमुंद, जिला-महासमुंद (छ.ग.)

निर्णय: उपरोक्त महाविद्यालय को वार्षिक अस्थायी संबद्धता प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

7. उच्च शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक 3959/237/आउशि/समन्वय/2023 दिनांक 07.06.2023 द्वारा स्नातक स्तर चार वर्षीय (सेमेस्टर प्रणाली) के 44 विषयों का एवं त्रिवर्षीय (वार्षिक प्रणाली) के कुल 48 विषयों के पाठ्यक्रम की सॉफ्टकापी उपलब्ध कराया गया है जिसे अपने पत्र क्रमांक 3985/237/आउशि/2023 दिनांक 13.06.2023 द्वारा स्वशासी महाविद्यालयों में

1. कागज रहित कार्य प्रणाली से समय की बचत एवं पर्यावरण की सुरक्षा।
2. पेपर वर्क कम कर डिजिटल से जुड़ें। सभी जागरूक हों कागज का उपयोग कम से कम हो।

कार्यवृत्त - विद्यापरिषद् की बैठक दिनांक 27.06.2023
सेमेस्टर प्रणाली तथा शेष महाविद्यालयों में वार्षिक परीक्षा प्रणाली के पाठ्यक्रम लागू किए जाने का लेख किया गया है। पाठ्यक्रम लागू किए जाने हेतु प्रकरण विद्यापरिषद् के समक्ष सूचनार्थ प्रस्तुत।

निर्णय: सूचना ग्रहण की गई।

अध्यक्ष के अनुमति से अन्य निर्णय

1. कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, अटल नगर, नवा रायपुर के पत्र क्र. 141/15/आउशि/योजना/2023 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 23.06.2023 के अनुसार नवीन शासकीय महाविद्यालय की स्थापना करने की प्रशासकीय अनुमति के साथ विश्वविद्यालय की ओर इस निर्देश के साथ पत्र प्रेषित किया गया है कि महाविद्यालय को सम्बद्धता प्रदान करने का आदेश जारी कर, प्रतिवेदन संचालनालय को उपलब्ध कराएं तत्संबंध में विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय: विश्वविद्यालय के नियमानुसार शासन आदेश के पश्चात् महाविद्यालय द्वारा निर्धारित आवेदन प्रपत्र के साथ निर्धारित सम्बद्धता शुल्क जमा कराए जाने के पश्चात् निरीक्षण समिति का गठन कर निरीक्षण की कार्यवाही करवाकर निरीक्षण प्रतिवेदन विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक में अनुशंसा एवं कार्यपरिषद् की बैठक में अनुमोदन कराए जाने के बाद सम्बद्धता आदेश जारी किया जाता है। वर्तमान में प्रवेश की प्रक्रिया जारी है। शासन आदेश के अनुसार महाविद्यालय में स्नातक स्तर पर शैक्षणिक सत्र 2023-24 में कक्षाएँ प्रारंभ किया जाना है। अतः निम्नांकित नवीन महाविद्यालय

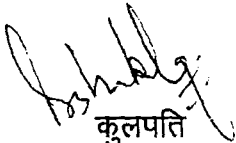
- (1) नवीन शासकीय कन्या महाविद्यालय, गरियाबंद
- (2) नवीन शासकीय महाविद्यालय, अमलीडीह, जिला-रायपुर
- (3) नवीन शासकीय महाविद्यालय, माना कैम्प, रायपुर, जिला-रायपुर

उपरोक्त को प्रवेश हेतु विश्वविद्यालय के पोर्टल में नाम इंद्राज किए जाने की अनुशंसा करते हुए समानांतर रूप से संबद्धता की कार्यवाही किए जाने का निर्णय लिया गया।

2. राजनीति विज्ञान अध्ययन शाला का गठन किए जाने के संबंध में विचार करना।

निर्णय: राजनीति विज्ञान अध्ययन शाला प्रारंभ करने पर सैद्धांतिक सहमति प्रदान किया गया, जिसमें स्नातकोत्तर स्तर पर पृथक-पृथक राजनीति विज्ञान एवं लोक प्रशासन विषय को शामिल किया जाएगा।

धन्यवाद ज्ञापन करने के साथ बैठक संपन्न हुई।


कुलपति
अध्यक्ष


30/6/23
कुलसचिव
सचिव

पृ. क्रमांक: 2181/अका./वि.परि./2023

रायपुर, दिनांक : 30/06/2023

प्रतिलिपि :

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा, ब्लॉक-सी-3, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, नवा रायपुर।
2. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर
3. विद्यापरिषद् के समस्त सम्माननीय सदस्यों को।

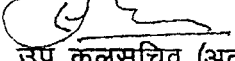
- | |
|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. कागज रहित कार्य प्रणाली से समय की बचत एवं पर्यावरण की सुरक्षा। 2. पेपर वर्क कम कर डिजिटल से जुड़ें। सभी जागरूक हों कागज का उपयोग कम से कम हो। |
|---|



5

कार्यवृत्त – विद्यापरिषद् की बैठक दिनांक 27.06.2023

4. अध्यक्ष, समस्त अध्ययन शाला/ग्रांट सेल/समस्त विभागीय अधिकारी, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर।
5. वित्त नियंत्रक /अंकेक्षण विभाग,
6. कुलपति/कुलसचिव के निज सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


उप कुलसचिव (अका.)

- | |
|--|
| <ol style="list-style-type: none">1. कागज रहित कार्य प्रणाली से समय की बचत एवं पर्यावरण की सुरक्षा।2. पेपर वर्क कम कर डिजिटल से जुड़ें। सभी जागरूक हों कागज का उपयोग कम से कम हो। |
|--|

	पुस्तकालयध्यक्ष (चयन ग्रेड) से उप पुस्तकालयध्यक्ष / महाविद्यालय पुस्तकालयध्यक्ष (चयन ग्रेड) (चरण 3 से चरण 4)	ग्रेड)	उपयोग कर न्यूनतम एपीआई अंक। बारह वर्ष में कम से कम तीन प्रकाशन। महाविद्यालयों में एम. फिल धारकों को एक प्रकाशन और पीएचडी धारकों को दो प्रकाशनों की छूट प्रदान की जा सकती है। (तीन) साथ ही, पुस्तकालय ऑटोमेशन / अकादमिक प्रलेखीकरण हेतु विश्लेषणात्मक साधन विकास की श्रेणियों में एक पाठ्यक्रम / प्रशिक्षण (चार) विनियम और तालिका आठ (क) में यथा विनिर्दिष्ट एक चयन समिति प्रक्रिया
4	विश्वविद्यालय पुस्तकालयध्यक्ष (चरण 5) (केवल विश्वविद्यालयों हेतु)	विश्वविद्यालयों में चरण 4 में तीन वर्ष की पूरी सेवा वाले उप-पुस्तकालयध्यक्ष	(एक) तालिका आठ(क) में दिए गए मानदण्डों के अनुसार वि.अ.आ. द्वारा विकसित पीबीएस गणना प्रारूप का उपयोग कर न्यूनतम सकल एपीआई अंक। न्यूनतम एपीआई अंक प्राप्त करने के लिए पुस्तकालयध्यक्ष दो आकलन अवधियों (चरण 3 और 4 में) को जोड़ सकते हैं, यदि आवश्यक हो। (दो) कार्मिक के चरण 3 में आने के बाद से कम से कम पांच प्रकाशन। (तीन) नवोन्मेषी पुस्तकालय सेवाओं और प्रकाशित कार्य की आयोजना का प्रमाण। (तीन) विनियम और तालिका आठ (क) में यथा विनिर्दिष्ट एक चयन समिति प्रक्रिया

नोट: शिक्षकों हेतु सीएस के लिए तालिका दो(क) हेतु उपलब्ध विवरणात्मक नोट इस संवर्ग हेतु विनिर्दिष्ट एपीआई अंकों के अनुसार पुस्तकालयध्यक्ष संवर्गों के पर भी लागू है।

UNIVERSITY GRANTS COMMISSION

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th May, 2016

UNIVERSITY GRANTS COMMISSION ON MINIMUM QUALIFICATIONS FOR APPOINTMENT OF TEACHERS AND OTHER ACADEMIC STAFF IN UNIVERSITIES AND COLLEGES AND MEASURES FOR THE MAINTENANCE OF STANDARDS IN HIGHER EDUCATION) (3RD AMENDMENT), REGULATIONS, 2016.

No.F.1-2/2016 (PS/Amendment).—In exercise of the powers conferred under clause (e) and (g) of sub-section (1) of Section 26 of University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956), the University Grants Commission hereby frames the following Regulations to amend the University Grants Commission on minimum qualifications for appointment of teachers and other academic staff in universities and colleges and measures for the maintenance of standards in higher education, Regulations, 2010, namely: -

2. Short title, application and commencement:

2.1 These Regulations may be called the University Grants Commission on minimum qualifications for appointment of teachers and other academic staff in universities and colleges and measures for the maintenance of standards in higher education (3rd Amendment), Regulations, 2016.

2.2 They shall apply to every University established or incorporated by or under a Central Act, Provincial Act or a State Act, every institution including a constituent or an affiliated college recognized by the Commission, in consultation with the university concerned under Clause (f) of Section 2 of the University Grants Commission Act, 1956 and every institution deemed to be a university under Section 3 of the said Act.

2.3 They shall come into force with immediate effect.

3. In the University Grants Commission on minimum qualifications for appointment of teachers and other academic staff in universities and colleges and measures for the maintenance of standards in higher Education, Regulations, 2010 (Principal Regulation 2010) the following amendments are made: -

Existing provisions of the following clauses of the Principal UGC Regulations 2010	Amendments made in the following clauses of Principal UGC Regulations 2010
3.0.0. Recruitment and Qualifications 3.1.0 The direct recruitment to the posts of Assistant Professors, Associate Professors and Professors in the Universities and Colleges shall be on the basis of merit through all India advertisement and selections by the duly constituted Selection Committees as per the provisions made under these Regulations to be incorporated under the Statutes/Ordinances of the concerned university. The composition of such committees should be as prescribed by the UGC in these Regulations. 3.2.0 The minimum qualifications required for the post of Assistant Professors, Associate Professors, Professors, Principals, Assistant Directors of Physical Education and Sports, Deputy Directors of Physical Education and Sports, Directors of Physical Education and Sports, Assistant Librarians, Deputy Librarians, Librarians will be those as prescribed by the UGC in these Regulations. 3.3.0 The minimum requirements of a good academic record, 55% marks (or an equivalent grade in a point scale wherever grading system is followed) at the master's level and qualifying in the National Eligibility Test (NET), or an accredited test (State Level Eligibility Test - SLET/SET), shall remain for the appointment of Assistant Professors. 3.3.1. NET/SLET/SET shall remain the minimum eligibility condition for recruitment and appointment of Assistant Professors in Universities / Colleges / Institutions : <i>Provided</i> however, that candidates, who are or have been awarded a Ph. D. Degree in accordance with the University Grants Commission (Minimum Standards and Procedure for Award of Ph.D. Degree) Regulations, 2009, shall be exempted from the requirement of the minimum eligibility condition of NET/SLET/SET for recruitment and appointment of Assistant Professor or equivalent positions in Universities / Colleges / Institutions.	3.0.0. Recruitment and Qualifications 3.1.0 The direct recruitment to the posts of Assistant Professors, Associate Professors and Professors in the Universities and Colleges shall be on the basis of merit through all India advertisement and selections by the duly constituted Selection Committees as per the provisions made under these Regulations to be incorporated under the Statutes/Ordinances of the concerned university. The composition of such committees should be as prescribed by the UGC in these Regulations. 3.2.0 The minimum qualifications required for the post of Assistant Professors, Associate Professors, Professors, Principals, Assistant Directors of Physical Education and Sports, Deputy Directors of Physical Education and Sports, Directors of Physical Education and Sports, Assistant Librarians, Deputy Librarians, Librarians will be those as prescribed by the UGC in these Regulations. 3.3.0 The minimum requirements of a good academic record, 55% marks (or an equivalent grade in a point scale wherever grading system is followed) at the master's level and qualifying in the National Eligibility Test (NET), or an accredited test (State Level Eligibility Test - SLET/SET), shall remain for the appointment of Assistant Professors. 3.3.1. NET/SLET/SET shall remain the minimum eligibility condition for recruitment and appointment of Assistant Professors in Universities/Colleges/ Institutions : <i>Provided</i> however, that candidates, who are or have been awarded a Ph. D. Degree in accordance with the University Grants Commission (Minimum Standards and Procedure for Award of Ph.D. Degree) Regulations, 2009 or the subsequent Regulations if notified by the UGC, shall be exempted from the requirement of the minimum eligibility condition of NET/SLET/SET for recruitment and appointment of Assistant Professor or equivalent positions in Universities / Colleges / Institutions. Further, the award of degrees to candidates registered for the M.Phil/Ph.D programme prior to July 11, 2009, shall be governed by the provisions of the then existing Ordinances/ By laws/ Regulations of the Institution awarding the degrees and the Ph.D candidates shall be exempted from the requirement of the minimum eligibility condition of "NET/SLET/SET for recruitment and appointment of Assistant Professor or equivalent positions in Universities / Colleges / Institutions subject to the fulfillment of the following conditions: - - Ph.D. degree of the candidate awarded in regular mode only; - Evaluation of the Ph.D. thesis by at least two external examiners; - Candidate had published two research papers out of which at least one in a refereed journal from out of his/her Ph.D. work; - The candidate had presented two papers in seminars/conferences from out of his/her Ph.D. work; - Open Ph.D. viva-voce of the candidate had been conducted. (a) to (e) as above are to be certified by the Vice-

Note

Establishing of AKRUTI (Advanced Knowledge and RUrAl Technology Implementation initiative) at Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur.

- A structured program called AKRUTI (Advanced Knowledge and RUrAl Technology Implementation initiative) has been formulated by BARC, Trombay, Mumbai.
- Pt. Ravishankar Shukla University is one of the selected institution with which a MoU is signed through Atomic Minerals Division, as **Annexure A**.
- Department of Atomic Energy (DAE) has launched DAE-Societal Initiative for utilization of Non-Power Applications (NPAs) and Spin-off technologies in the area of water, agriculture, food processing and agri-land improvement through urban and rural waste management.
- AKRUTI nodes have demonstrated the usefulness of BARC technologies for rural sector leading to societal benefit. This program has potential to encourage village techno-preneurship based on BARC technologies.
- Dr Bharati Bhalerao, Scientific Officer, AKRUTI, Technology Transfer & Collaboration Division, Knowledge Management Group, BARC, DAE, Mumbai has visited our university on October 18, 2023. During the visit an interaction with faculty members was carried out to share the idea of AKRUTI and how RSU can be benefitted.
- AKRUTI Programme implementation will be done through 'AKRUTI Kendra' to create structured and scalable network of DAE-BARC based RUrAl Technology and to provide easy access to modern technologies to all Rural and Urban Sectors.
- Eligibility Criteria to Set Up AKRUTI Kendra: AKRUTI Kendra can be established with Education Institute, any company under CSR Funding or any individual or any company with self-finance after evaluation by BARC. It will function under budget neutral mode as far as DAE-BARC is concerned. As a Section – 8 Company has been registered under the aegis of Pt. Ravishankar Shukla University; this initiative enables our university to be an AKRUTI Centre.
- Scope of AKRUTI Kendra: AKRUTI Kendras are technology Display, Dissemination, Demonstration and Training Centres. BARC will grant a non-commercial, non-exclusive revocable license to run the AKRUTI Kendra and to train the budding entrepreneurs.
- Responsibilities of BARC and Responsibilities of AKRUTI Kendra are as **Annexure B**

To be placed before Academic Coun

Minad
27.02.2024



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक : 297 / अका. / वि.प.स्थायी समिति / 2023

रायपुर, दिनांक 03 / 08 / 2023

विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् के स्थायी समिति की बैठक गुरुवार, दिनांक 03.08.2023 को अपराह्न 03:00 बजे विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन के कुलपति सचिवालय के सभा-कक्ष में संपन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए –

1. प्रो. सच्चिदानंद शुक्ल, कुलपति	—	अध्यक्ष
2. डॉ. शैल शर्मा	—	सदस्य
3. डॉ. आर.के. ब्रह्मे	—	सदस्य
4. डॉ. व्यास दुबे	—	सदस्य
5. डॉ. तपेश चंद्र गुप्ता	—	सदस्य
6. डॉ. राजीव चौधरी	—	सदस्य
7. डॉ. संजय जे. डहरवाल	—	सदस्य
8. डॉ. (श्रीमती) अदिति पोद्दार	—	सदस्य
9. डॉ. (श्रीमती) पद्मा बोहरे	—	सदस्य
10. डॉ. ए.के. श्रीवास्तव	—	सदस्य
11. डॉ. संजय कुमार	—	सदस्य
12. डॉ. शैलेंद्र कुमार पटेल, कुलसचिव	—	सचिव

कार्यवृत्त

01. विद्या-परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 30.05.2023 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना।

निर्णय: सम्पुष्टि की गई।

02. विद्या-परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 30.05.2023 के पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय: सूचना ग्रहण की गई।

03. निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन के आधार पर निम्नलिखित महाविद्यालय को उनके नाम के सम्मुख दर्शित कक्षा/विषय, छात्र-संख्या एवं सत्रानुसार अस्थायी संबद्धता दिए जाने के संबंध में विस्तृत टीप के साथ, सूची निम्नानुसार है –

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय	सीट संख्या	सत्र
i	शासकीय कला एवं वाणिज्य कन्या महाविद्यालय, देवेन्द्र नगर, रायपुर	M.Sc.-I/II Sem. Botany	20	2023-24
		PGDCA	40	
निर्णय: निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित कमियों की पूर्ति सत्रांत तक पूर्ण करने के शर्त पर अस्थायी संबद्धता प्रदान करने की अनुशंसा की गई।				
क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय	सीट संख्या	सत्र
ii	शासकीय माता कर्मा कन्या महावि. महासमुंद	M.S.W.	20	2023-24
निर्णय: निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित कमियों की पूर्ति सत्रांत तक पूर्ण करने के शर्त पर अस्थायी संबद्धता प्रदान करने की अनुशंसा की गई।				

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय	सीट संख्या	सत्र
iii	श्री कुलेश्वर महादेव शासकीय महाविद्यालय, गोबरा नवापारा, जिला-रायपुर	M.Sc. I/II Sem.- Chemistry	30	2023-24
		M.A. I/II Sem.-Economics	50	
		M.A. I/II Sem.- Political Science	50	
		M.Com. I/II Sem.	30	
निर्णय: निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित कमियों की पूर्ति सत्रांत तक पूर्ण करने के शर्त पर अस्थायी संबद्धता प्रदान करने की अनुशंसा की गई।				
क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय	सीट संख्या	सत्र
iv	शास. दू.ब. महिला स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय, रायपुर	B.Com. III year Computer Application (Self Financing)	50	2023-24
निर्णय: निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित कमियों की पूर्ति सत्रांत तक पूर्ण करने के शर्त पर अस्थायी संबद्धता प्रदान करने की अनुशंसा की गई।				
क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय	सीट संख्या	सत्र
v	शासकीय खेमचंद लक्ष्मीचंद महाविद्यालय, बागबाहरा, जिला-महासमुंद	PGDCA	40	2023-24
		B.A.-I English Literature, Geography	250	
		M.Sc. I/II Sem. Maths	25	
		M.Sc. I/II Sem. Botany	25	
निर्णय: निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित कमियों की पूर्ति सत्रांत तक पूर्ण करने के शर्त पर अस्थायी संबद्धता प्रदान करने की अनुशंसा की गई।				
क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय	सीट संख्या	सत्र
vi	बाबू पंढरी राव कृदत्त शासकीय महाविद्यालय, सिलौटी, जिला-धमतरी	M.A.-I/II Sem. Gorgaphy	30	2023-24
		B.Sc.-I- Bio Group. - Botany, Zoology, Chemistry	90	
निर्णय: निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित कमियों की पूर्ति सत्रांत तक पूर्ण करने के शर्त पर अस्थायी संबद्धता प्रदान करने की अनुशंसा की गई।				
क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय	सीट संख्या	सत्र
vii	शास. जे.योगानंदम छत्तीसगढ़ महाविद्यालय, रायपुर	B.A.LL.B- I year- (Five years integrated Course)	120	2023-24
निर्णय: निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित कमियों की पूर्ति सत्रांत तक पूर्ण करने के शर्त पर अस्थायी संबद्धता प्रदान करने की अनुशंसा की गई।				
क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय	सीट संख्या	सत्र
viii	नवीन शासकीय महाविद्यालय, अमलीडीह, जिला-रायपुर	बी.ए. (कला संकाय) प्रथम वर्ष – आ.पा.– हिंदी एवं अंग्रेजी, राजनीति विज्ञान, इतिहास, अर्थशास्त्र	90	2023-24
		बी.सी.ए. प्रथम वर्ष– समस्त अनिवार्य विषय	60	
		बी.बी.ए.–प्रथम वर्ष– समस्त अनिवार्य विषय	40	
		बी.काम. (वाणिज्य संकाय) प्रथम वर्ष– समस्त अनिवार्य विषय	90	
निर्णय: शासन द्वारा बी.बी.ए.–60 सीट की स्वीकृति प्रदान की गई है। अध्यादेश क्रमांक 91 के अनुसार 40 सीट प्रदान करने की अनुशंसा की गई। यह भी निर्णय लिया गया कि शासन को इस तथ्य से अवगत कराया जाए तथा निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित कमियों की पूर्ति सत्रांत तक पूर्ण करने के शर्त पर अस्थायी संबद्धता प्रदान करने की अनुशंसा की गई।				

04. जयहिन्द महाविद्यालय, महासमुंद में संचालित बी.बी.ए. एवं बी.कॉम. पाठ्यक्रम को बंद करने के संबंध में विचार करना।
- निर्णय: परीक्षा विभाग द्वारा दी गई जानकारी अनुसार महाविद्यालय में सत्र 2019-22 तक छात्रों का प्रवेश निरंक है। महाविद्यालय द्वारा उक्त अवधि में प्रतिवर्ष के क्रम में सम्बद्धता शुल्क भी जमा किया जा रहा है। उक्त स्थिति के सापेक्ष समिति ने महाविद्यालय की सम्बद्धता वापस लिए जाने की अनुशंसा की एवं कार्यपरिषद् के अनुमोदन के पश्चात् शासन को महाविद्यालय बंद करने हेतु पत्र प्रेषित करने का प्रस्ताव पारित किया गया।
05. डी.लिट् उपाधि प्राप्त करने के पश्चात् उसी विषय में नवीन शीर्षक के साथ फिर से डी.लिट् उपाधि हेतु पंजीयन के संबंध में विचार करना।
- निर्णय: डी.लिट् उपाधि प्राप्त करने के पश्चात् उसी विषय में नवीन शीर्षक के साथ फिर से डी.लिट् उपाधि हेतु समिति के गठन की अनुशंसा की गई, जो अपना प्रतिवेदन 31.08.2023 तक प्रस्तुत करेंगे। समिति के सदस्य निम्नलिखित हैं –
- (1) डॉ. आशिष कुमार श्रीवास्तव, संकायाध्यक्ष, प्रबंध संकाय
 - (2) डॉ. तपेश चंद्र गुप्ता, संकायाध्यक्ष, वाणिज्य संकाय
 - (3) डॉ. एस.जे. डहरवाल, संकायाध्यक्ष, टेक्नोलॉजी संकाय
06. सत्र 2023-24 में नवीन कक्षा/विषय एवं सीट संख्या में प्रवेश हेतु विश्वविद्यालय ऑनलाईन प्रवेश पोर्टल में इंद्राज किए जाने हेतु जारी पत्र के अनुमोदन के संबंध में विचार करना।
- निर्णय: उच्च शिक्षा विभाग छ.ग. शासन के आदेशानुसार सत्र 2023-24 में नवीन कक्षा/विषय एवं सीट संख्या में प्रवेश हेतु विश्वविद्यालय ऑनलाईन प्रवेश पोर्टल में इंद्राज किए जाने हेतु निम्नलिखित महाविद्यालयों को जारी पत्र का सूचना ग्रहण कर, विश्वविद्यालय परिनियम 27 के अनुसार सम्बद्धता की कार्यवाही किए जाने की अनुशंसा की गई।

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	सीट संख्या	वि.वि. पत्र क्र. एवं दिनांक
1.	नवीन शासकीय कन्या महाविद्यालय गरियाबंद	बी.ए. (कला संकाय) प्रथम वर्ष – आ.पा.–हिन्दी एवं अंग्रेजी, राजनीति, समाजशास्त्र, इतिहास	90	क्रमांक: 2176/अका./सम्बद्धता/2023 रायपुर, दिनांक : 28/06/2023
		बी.एस.सी. (विज्ञान समूह) प्रथम वर्ष– आ.पा.–हिन्दी एवं अंग्रेजी, वनस्पतिशास्त्र, प्राणीशास्त्र, रसायनशास्त्र	45	
		बी.एस.सी. (गणित समूह) प्रथम वर्ष– आ.पा.–हिन्दी एवं अंग्रेजी, रसायनशास्त्र, गणित, भौतिकशास्त्र	45	
		बी.कॉम. (वाणिज्य संकाय) प्रथम वर्ष– समस्त अनिवार्य विषय	90	
2.	नवीन शासकीय महाविद्यालय, अमलीडीह जिला– रायपुर	बी.ए. (कला संकाय) प्रथम वर्ष – आ.पा.–हिन्दी एवं अंग्रेजी, राजनीति विज्ञान, इतिहास, अर्थशास्त्र	90	क्रमांक: 2176/अका./सम्बद्धता/2023 रायपुर, दिनांक : 28/06/2023
		बी.सी.ए. प्रथम वर्ष– समस्त अनिवार्य विषय	60	
		बी.बी.ए. प्रथम वर्ष– समस्त अनिवार्य विषय	60	

		बी.कॉम. (वाणिज्य संकाय) प्रथम वर्ष- समस्त अनिवार्य विषय	90	
3.	नवीन शासकीय महाविद्यालय, माना कैम्प, रायपुर जिला- रायपुर	बी.ए. (कला संकाय) प्रथम वर्ष - आ.पा.-हिन्दी एवं अंग्रेजी, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, इतिहास बी.एस.सी. प्रथम वर्ष- कम्प्यूटर साइंस बी.एस.सी. (गणित समूह) प्रथम वर्ष- आ.पा.-हिन्दी एवं अंग्रेजी, रसायनशास्त्र, गणित, भौतिकशास्त्र बी.कॉम. (वाणिज्य संकाय) प्रथम वर्ष- समस्त अनिवार्य विषय	90 45 45 90	क्रमांक: 2176/अका./सम्बद्धता/ 2023 रायपुर, दिनांक : 28/06/2023
4.	डॉ. राधाबाई शासकीय नवीन कन्या महाविद्यालय, रायपुर सत्र 2023-24	M.Sc. I/II Sem.- Chemistry M.Sc. I/II Sem.- Botany	20 20	क्रमांक: 38/अका./सम्बद्धता/ 2023 रायपुर, दिनांक : 05/07/2023
5.	स्व. श्री जयदेव सतपथी शासकीय महाविद्यालय, बसना जिला- महासमुंद सत्र 2023-24	B.Sc.-I- Maths Group- Physics, Maths	60	क्रमांक: 83/अका./सम्बद्धता/ 2023 रायपुर, दिनांक : 12/07/2023
6.	स्व. श्री जयदेव सतपथी शासकीय महाविद्यालय, बसना जिला- महासमुंद सत्र 2023-24	PGDCA	30	क्रमांक: 242/अका./सम्बद्धता/ 2023 रायपुर, दिनांक: 27/07/2023
7.	श्री कुलेश्वर महादेव शासकीय महाविद्यालय, गोबरा-नवापारा जिला- रायपुर सत्र 2023-24	M.A. I/II Sem.- Economics M.A. I/II Sem.- Political Science M.Com. I/II Sem. M.Sc. I/II Sem.- Chemistry	50 50 30 30	क्रमांक: 91/अका./सम्बद्धता/ 2023 रायपुर, दिनांक : 12/07/2023
8.	स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम आदर्श महाविद्यालय, महासमुंद सत्र 2023-24	B.A. I- (F.C.- Hindi, English), English Literature, Sociology, Economics, Political Science. B.Sc.-I- (Maths Group)- (F.C.- Hindi, English), Physics, Chemistry, Maths. B.Sc.-I- (Computer Science)- (F.C.- Hindi, English), Maths, Computer, Physics. B.Com.-I- Computer Science.	90 60 60 60	क्रमांक: 130/अका./सम्बद्धता/ 2023 रायपुर, दिनांक: 16/07/2023
9.	शासकीय पंडित श्याम शंकर मिश्र महाविद्यालय, देवभोग जिला-	B.A. I- Hindi Literature, English Literature.	200	क्रमांक: 136/अका./सम्बद्धता/ 2023 रायपुर, दिनांक : 16/07/2023



	गरियाबंद (छ.ग.) सत्र 2023-24			
10.	शासकीय माता कर्मा कन्या महाविद्यालय, महासमुंद (छ.ग.) सत्र 2023-24	M.S.W. I/II Sem.	20	क्रमांक: 187/अका./सम्बद्धता/ 2023 रायपुर, दिनांक : 20/07/2023
11.	शासकीय माता कर्मा कन्या महाविद्यालय, महासमुंद (छ.ग.) सत्र 2023-24	M.Com. I/II Sem.	30	क्रमांक: 156/अका./सम्बद्धता/ 2023 रायपुर, दिनांक : 18/07/2023
12.	स्व. रामनाथ वर्मा शासकीय महाविद्यालय, मोपका-निपनिया जिला- बलौदाबाजार-भाटापारा (छ.ग.) सत्र 2023-24	B.Sc. I- Botany, Zoology.	90	क्रमांक: 158/अका./सम्बद्धता/ 2023 रायपुर, दिनांक : 18/07/2023
13.	संत गुरु घासीदास शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कुरुद जिला- धमतरी (छ.ग.) सत्र 2023-24	M.Sc. I/II- Information Technology (IT)	20	क्रमांक: 152/अका./सम्बद्धता/ 2023 रायपुर, दिनांक : 18/07/2023
14.	सत्यनारायण अग्रवाल शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, कोहका-नेवरा जिला- रायपुर (छ.ग.) सत्र 2023-24	M.Sc. I/II- Maths	20	क्रमांक: 185/अका./सम्बद्धता/ 2023 रायपुर, दिनांक : 20/07/2023
15.	स्वर्गीय राजा वीरेन्द्र बहादुर सिंह शासकीय महाविद्यालय, सरायपाली जिला- महासमुंद (छ.ग.) सत्र 2023-24	M.A. I/II Sem.- English (Self finance) M.Sc. I/II Sem.- Zoology (Self Finance)	30 30	क्रमांक: 252/अका./सम्बद्धता/ 2023 रायपुर, दिनांक: 27/07/2023
16.	शहीद नंदकुमार पटेल शासकीय महाविद्यालय, बीरगाँव जिला- रायपुर (छ.ग.) सत्र 2023-24	M.A. I/II Sem.- Sociology	40	क्रमांक: 265/अका./सम्बद्धता/ 2023 रायपुर, दिनांक: 31/07/2023
17.	बाबू पंढरी राव कृदत्त शासकीय महाविद्यालय, सिलौटी जिला- धमतरी	B.Sc.I- Botany, Zoology M.A. I/II Sem.- Geography	90 30	क्रमांक: 111/अका./सम्बद्धता/ 2023 रायपुर, दिनांक: 14/07/2023

07. निम्नलिखित महाविद्यालयों ने वार्षिक संबद्धता एवं वृद्धि शुल्क की राशि विश्वविद्यालय कोष में जमा कर दी है। वार्षिक संबद्धता आदेश सत्र 2023-24 के लिए प्रदान करने हेतु प्रकरण स्थायी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत :-

क्रमांक	शासकीय महाविद्यालय
1	शहीद नंदकुमार पटेल शासकीय महाविद्यालय, बीरगाँव जिला- रायपुर
2	डॉ. भीमराव अंबेडकर शासकीय महाविद्यालय, बलौदा, जिला-महासमुंद
3	शासकीय नवीन महाविद्यालय, चिरको जिला- महासमुंद
4	शास. डी.एस.व्ही. संस्कृत महाविद्यालय, रायपुर
5	शासकीय नवीन महाविद्यालय, गुड़ियारी जिला- रायपुर
6	शहीद राजीव पाण्डेय शासकीय महाविद्यालय, भाटागाँव जिला- रायपुर

7	शासकीय कला/वाणिज्य कन्या महाविद्यालय, देवेन्द्र नगर, रायपुर
8	भक्त माता कर्मा शासकीय महाविद्यालय, समोदा जिला- रायपुर
9	स्व. राजा वीरेन्द्र बहादुर सिंह शास. महा. सरायपाली, जिला-महासमुंद
10	शासकीय नवीन कन्या महाविद्यालय, गोबरा नवापारा जिला- रायपुर
11	शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय, शंकर नगर, रायपुर
12	गोविंद सारंग शासकीय विधि महाविद्यालय, भाटापारा, जिला-बलौदाबाजार
13	शास. पं. श्यामाचरण शुक्ल महा. धरसीवां रायपुर सत्र 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24
क्रमांक	अशासकीय महाविद्यालय
1	श्री रामेश्वर गहिरा गुरु संस्कृत महाविद्यालय, सामरवार, दुर्गापुर, जशपुर (छ.ग.)
2	सेठ फूलचंद अग्रवाल स्मृति महा. नवापारा (राजिम) जिला-रायपुर (छ.ग.)
3	महंत लक्ष्मी नाराण दास महा. रायपुर (छ.ग.)
4	विवेकानंद महाविद्यालय, मौदहापारा, रायपुर (छ.ग.)
5	जेनेसिस कॉलेज आफ हायर एजुकेशन, सिहावा रोड, धमतरी (छ.ग.)
6	जय हिंद महाविद्यालय, लोहानी बिल्डींग, महासमुंद (छ.ग.)
7	श्री रावतपुरा सरकार कालेज ऑफ एजुकेशन, प्लॉट नं.-581, ग्राम-पचेडा तह.- अभनपुर, जिला-रायपुर (छ.ग.)
8	दुर्गा महाविद्यालय, मौदहापारा, रायपुर (छ.ग.)
9	बी.आई.टी. कॉलेज ऑफ कामर्स, साइंस, मैनेजमेंट एण्ड आर्ट्स, अभनपुर रोड, केन्द्री, नवा रायपुर
10	विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन एक्सीलेंस (कॉलेज डिवीजन) रामकृष्ण परमहंस नगर, कोटा, रायपुर (छ.ग.)
11	सेंट्रल कॉलेज आफ इंफॉर्मेशन टेक्नालॉजी, फाफाडीह, रायपुर (छ.ग.)
12	सौ. कुसुम ताई दाबके विधि महाविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)
13	श्री रावतपुरा सरकार इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ग्राम- पचेडा जिला- रायपुर
14	स्वामी अजय गुरुदेव इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी ग्राम- मुड़पार, पो.- खरोरा, तह.- तिल्दा, जिला- रायपुर
15	महात्मा गाँधी महाविद्यालय स्टेशन रोड, रायपुर (छ.ग.)
16	कमलाकांत शुक्ल इंस्टीट्यूट, प्लॉट नं. 2661/24, देवरी, भाटापारा, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा
17	अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती रायपुर (छ.ग.)
18	कोपल वाणी श्रवण बाधित महाविद्यालय, पं. सुंदर लाल शर्मा स्कूल परिसर, सुंदर नगर, रायपुर
19	दिशा विधि महाविद्यालय, सत्य विहार, विधानसभा चंद्रखुरी मार्ग, रायपुर
20	पं. हरिशंकर शुक्ल स्मृति महाविद्यालय, कचना रोड, रायपुर (छ.ग.)
21	स्पेक्ट्रम कालेज ऑफ एजुकेशन, खसरा नं.-1234, ग्राम+पोस्ट-नरदहा, तह.-आरंग, रायपुर
22	कै.डी. रूंगटा कालेज आफ साइंस एंड टेक्नालॉजी, वीरसावरकर नगर, अटारी, रायपुर
23	दिशा कालेज, दिशा पार्क बिल्डिंग नं. 1 फर्स्ट फ्लोर, चिरुडीह, रामनगर, कोटा मार्ग, रायपुर
24	श्री रावतपुरा सरकार इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, पचेडा, अभनपुर, जिला-रायपुर
25	श्रृष्टि कॉलेज आफ आई.टी. एंड मैनेजमेंट, जयस्तंभ चौक, रायपुर (छ.ग.)(सत्र 2022-23 एवं 2023-24)
26	ओम श्री साई नाथ विद्यालय परसतराई (धरसीवां), जिला-रायपुर (छ.ग.)
27	महर्षि दयानंद संस्कृत महाविद्यालय, कोसरंगी जिला- महासमुंद

निर्णय: उपर्युक्त महाविद्यालयों को अंकित सत्र अनुसार अस्थायी वार्षिक संबद्धता प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

08. आवेदक नितिन के स्नातक उपाधि बी.ए. (ऑनर्स) भूगोल, कला संकाय एवं विज्ञान संकाय से स्नातकोत्तर में एम.एस-सी. भूगोल उत्तीर्ण होने के पश्चात् भूगोल विषय में पी-एच.डी. हेतु पात्रता प्रमाण-पत्र के अनुमोदन के संबंध में विचार करना।

निर्णय: अनुमोदन किया गया।

09. विश्वविद्यालय में निम्नलिखित पाठ्यक्रम प्रारंभ करने के संबंध में विचार करना –

- (i) M.A.- Political Science
- (ii) M.A.- Public Administration
- (iii) M.A.- Yoga
- (iv) M.Sc.- Renewable Energy Technology
- (v) M.Tech.- Microelectronics & VLSI Design
- (vi) P.G. Diploma in Fashion Design & Garment Technology

निर्णय: विश्वविद्यालय में निम्नलिखित पाठ्यक्रम प्रारंभ करने के संबंध में सैद्धांतिक सहमति प्रदान की गई—

- (i) M.A.- Political Science
- (ii) M.A.- Public Administration
- (iii) M.A.- Yoga
- (iv) M.Sc.- Renewable Energy Technology
- (v) M.Tech.- Microelectronics & VLSI Design
- (vi) P.G. Diploma in Fashion Design & Garment Technology
- (vii) M.A. Women Studies

साथ ही विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान अध्ययनशाला प्रारंभ करने की अनुशंसा की गई।

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य निर्णय

01. महाविद्यालय हेतु निर्मित निरीक्षण समिति प्रतिवेदन को संशोधन करने के संबंध में विचार करना।

निर्णय: महाविद्यालय हेतु निर्मित निरीक्षण समिति प्रतिवेदन को संशोधन हेतु समिति के गठन किए जाने की अनुशंसा की गई, समिति के सदस्य निम्नलिखित हैं –

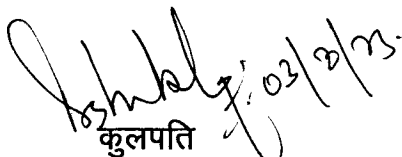
- (1) डॉ. एस.जे. डहरवाल, संकायाध्यक्ष, टेक्नोलॉजी संकाय
- (2) श्री सनत कुमार वर्मा, उप कुलसचिव, अकादमिक विभाग

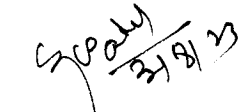
02. एम.ए. तुलनात्मक धर्म, दर्शन एवं योगा तथा मूल विज्ञान केंद्र में संचालित बायोलॉजी पाठ्यक्रमों के नाम परिवर्तन के संबंध में विचार करना।

निर्णय: एम.ए. तुलनात्मक धर्म, दर्शन एवं योगा तथा मूल विज्ञान केंद्र में संचालित बायोलॉजी पाठ्यक्रमों के नाम परिवर्तन के संबंध में समीक्षा हेतु समिति के गठन की अनुशंसा की गई, जो अपना प्रतिवेदन 31.08.2023 तक प्रस्तुत करेंगे। समिति के सदस्य निम्नलिखित हैं –

- (1) डॉ. शैल शर्मा, संकायाध्यक्ष, कला संकाय
- (2) डॉ. आर.के. ब्रह्मे, संकायाध्यक्ष, सामाजिक विज्ञान संकाय
- (3) डॉ. अदिती पोद्दार, संकायाध्यक्ष, जीव विज्ञान संकाय
- (4) डॉ. एस.जे. डहरवाल, संकायाध्यक्ष, टेक्नोलॉजी संकाय

धन्यवाद ज्ञापन करने के साथ बैठक संपन्न हुई।


कुलपति
अध्यक्ष


कुलसचिव
सचिव

पृ. क्रमांक : 298 / अका. / वि.प.स्थायी समिति / 2023
प्रतिलिपि :-

रायपुर, दिनांक 03 / 08 / 2023

1. समस्त संकायाध्यक्षों को,
2. वित्त नियंत्रक / अंकेक्षण,
3. उ.कु.स. परीक्षा / सामान्य प्रशासन / स.कु.स. गोपनीय,
4. संचालक, आई.क्यू.ए.सी.,
5. कुलपति / कुलसचिव के निज सहायक, पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाही हेतु अग्रेषित।


उप-कुलसचिव (अका.)



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक : ४०३ / अका. / वि.प.स्थायी समिति / 2023

रायपुर, दिनांक 16/08/2023

विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् के स्थायी समिति की बैठक बुधवार, दिनांक 16.08.2023 को मध्याह्न 12:00 बजे विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन के कुलपति सचिवालय के सभा-कक्ष में संपन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए –

1. प्रो. सच्चिदानंद शुक्ल, कुलपति	—	अध्यक्ष
2. डॉ. शैल शर्मा	—	सदस्य
3. डॉ. आर.के. ब्रह्मे	—	सदस्य
4. डॉ. व्यास दुबे	—	सदस्य
5. डॉ. तपेश चंद्र गुप्ता	—	सदस्य
6. डॉ. राजीव चौधरी	—	सदस्य
7. डॉ. संजय जे. डहरवाल	—	सदस्य
8. डॉ. (श्रीमती) अदिति पोद्दार	—	सदस्य
9. डॉ. ए.के. श्रीवास्तव	—	सदस्य
10. डॉ. संजय कुमार	—	सदस्य
11. डॉ. शैलेंद्र कुमार पटेल, कुलसचिव	—	सचिव

कार्यवृत्त

- छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग के आदेश क्र. 905/685/2005/38-2 नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 11.08.2023 के परिपालन में दो विषयों में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों को पूरक की पात्रता देने के लिए प्रचलित अध्यादेशों में संशोधन के संबंध में विचार करना।
- निर्णय : विगत 02 वर्षों के दौरान कोविड-19 के संक्रमण से उत्पन्न विशेष परिस्थिति के कारण विद्यार्थियों को नियमित अध्ययन-अध्यापन हेतु उचित अवसरों की कमी को देखते हुए परीक्षा परिणाम के पूर्व निर्धारित मानक को शिथिल करते हुए सत्र 2022-23 के लिए 02 विषयों में पूरक का अवसर प्रदान करने के संबंध में अध्यादेश क्रमांक-6, 12 एवं 110 में निम्नानुसार संशोधन की अनुशंसा की गई –

क्र. (Sr. No.)	अध्यादेश क्रमांक (Ordinance No.)	वर्तमान प्रावधान (Existing Provision)	नवीन प्रावधान (New Provision)	औचित्य (Justification)
1	Ordinance No. 6	Nil	38 This Special Clause is being added in the Ordinance to define the Eligibility for appearing in the Supplementary Examination of the Session 2022-23. This Clause shall be applicable only for the Session 2022-23 and not be treated as paradigm or example for any session other than 2022-23:-	The Covid-19 pandemic considerably affected the study and teaching of all classes in the Sessions 2019-20, 2020-21 and 2021-22. The long-lasting effect of the pandemic has also affected the performance of students in the examination for the session 2022-23. In the wider interest of the examinees and the

			(1) (a) Candidates who have failed at any B.A., B.Sc, B.H.Sc., or B.Com. Examination in not more than two subjects or group as case may be. (b) Candidate for examinations other than those enumerated in (a) above who are declared eligible to appear at a supplementary examination in accordance with the Provision of the respective examination ordinance. (2) In the case of a subject for supplementary examination in which there is also a practical test, a candidate shall be required to appear in the written paper only if he/she has passed at the main examination in practicals and in practicals only if he/she has passed in the written papers and practicals shall be examined in both the parts of the subject. (3) Except when provided otherwise in the ordinance concerned, a candidate who has been declared eligible for a supplementary examination may appear as a supplementary Examination Candidate in the two examinations immediately following the examination in which he was declared to be so eligible and thereafter he/she shall be required to appear in all the papers at the next examination. (4) A candidate appearing in the Supplementary examination shall be declared to have passed the examination if he/she secures the minimum passing marks in the subject as the case may be except when provided otherwise in the examination ordinance concerned. Such a candidate shall be deemed to have obtained only the minimum passing marks in the subject as	direction received by the Higher Education Department of Chhattisgarh vide its letter No. 905/685/2005/ 38-2 dated 11.08.2023, it is justified that an opportunity has to be given to the affected students to appear in supplementary examination in two subjects instead of one in the session 2022-23.
--	--	--	--	--

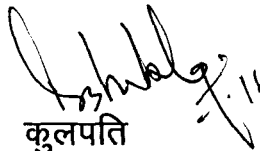
			the case may be and such minimum passing marks shall be taken in to account in determining the division at the examination. (5) Such candidates as are eligible to appear in the second examination may be provisionally admitted in the next higher class in University Teaching Department, School of Studies or College and their attendance in the higher class shall be counted in case they are declared successful at the second examination. If the candidate fails at the examination, the admission to the higher class shall be cancelled and the candidate shall revert to the lower class.	
2	Ordinance No. 12	Nil	11 This Special Clause is being added in the Ordinance to define the Eligibility for appearing in the Supplementary Examination of the Session 2022-23. This Clause shall be applicable only for the Session 2022-23 and not be treated as paradigm or example for any session other than 2022-23:- Candidates will have to pass separately to the B.A. Classics Part I, Part - II and Part- III examinations. No division shall be assigned on the result of Part - I and Part-II examination. The division in which a candidate is placed at the Final examination shall be determined on the basis of the aggregate of total marks obtained in the Part -I, Part II and Part - III examinations. Provided in case of a candidate who has passed the B.A Classics Part - I and Part - II examination through the supplementary examination having failed in two subject only, the total aggregate marks for being carried over for determining the division shall include actual marks obtained in the subject in which he appeared at the supplementary examination.	



3	Ordinance No. 110	Nil	13 This Special Clause is being added in the Ordinance to define the Eligibility for appearing in the Supplementary Examination of the Session 2022-23. This Clause shall be applicable only for the Session 2022-23 and not be treated as paradigm or example for any session other than 2022-23:- 13.1 A candidate failing in two theory paper of BPE-I, II, III and IV examination shall be eligible to appear in supplementary examination in the paper in which he/she has failed, to be conducted in the month of September and shall appear only in that paper. Such candidates shall be eligible to be admitted in the next higher class, if he/she fail in the supplementary examination he/she may take another supplementary examination alongwith the annual examination of the next higher class, if he/she however, fails in the second supplementary also his/her result of the higher class will be cancelled and he/she shall have to appear a fresh in all the papers in the respective lower examination in the subsequent examination and shall be allowed to appear in the higher examination only when passed lower examination in full. 13.2 A candidate, who fails in more than two theory subjects or in aggregate of activity/teaching practice/sports specialisation shall be declared failed and shall not be eligible to join the next higher class or the same class in that academic year. He must appear in the exam as an ex-student along with other regular students. 13.3 A student failing in any one of the parts shall be allowed to appear as ex-student in the annual examination in the respective parts only in which he has failed and his sessional marks, if any previously obtained shall be carried over. A
---	-------------------	-----	---

			student who fails in sessional in any of the parts shall be declared failed and shall make up sessional in the Part in which he has failed in the subsequent year as to be notified by the institute. He will not be eligible to take admission in higher class till he makes up his sessionals. 13.4 At the end of BPE final exam each successful candidate shall receive a detailed marksheet in addition to his degree.
--	--	--	--

धन्यवाद ज्ञापन करने के साथ बैठक संपन्न हुई।


 16/8/23
 कुलपति
 अध्यक्ष


 16/8/23
 कुलसचिव
 सचिव

पृ. क्रमांक : 404 / अका. / वि.प.स्थायी समिति / 2023
 प्रतिलिपि :-

रायपुर, दिनांक 16/08/2023

1. समस्त संकायाध्यक्षों को,
2. वित्त नियंत्रक / अंकेक्षण,
3. उ.कु.स. परीक्षा / सामान्य प्रशासन / स.कु.स. गोपनीय,
4. संचालक, आई.क्यू.ए.सी.,
5. कुलपति / कुलसचिव के निज सहायक, पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाही हेतु अग्रेषित।


 उप-कुलसचिव (अका.)



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक : 762/अका./वि.प.स्थायी समिति/2023

रायपुर, दिनांक 21/09/2023

विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् के स्थायी समिति की बैठक गुरुवार, दिनांक 21.09.2023 को अपराह्न 03:00 बजे विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन के कुलपति सचिवालय के सभा-कक्ष में संपन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए -

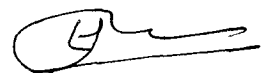
1. प्रो. सच्चिदानंद शुक्ल, कुलपति	—	अध्यक्ष
2. डॉ. शैल शर्मा	—	सदस्य
3. डॉ. व्यास दुबे	—	सदस्य
4. डॉ. तपेश चंद्र गुप्ता	—	सदस्य
5. डॉ. राजीव चौधरी	—	सदस्य
6. डॉ. संजय जे. डहरवाल	—	सदस्य
7. डॉ. (श्रीमती) अदिति पोद्दार	—	सदस्य
8. डॉ. ए.के. श्रीवास्तव	—	सदस्य
9. डॉ. संजय कुमार	—	सदस्य
10. डॉ. शैलेंद्र कुमार पटेल, कुलसचिव	—	सचिव

कार्यवृत्त

- विद्या-परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 03.08.2023 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना।
निर्णय: सम्पुष्टि की गई।
- विद्या-परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 03.08.2023 के पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण करना।
निर्णय: विद्या-परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 03.08.2023 के पालन प्रतिवेदन के अध्यक्ष के अनुमति से बिंदु क्रमांक 2 को आगामी बैठक में पालन कर सूचनार्थ प्रस्तुत करने के निर्णय के साथ अन्य विषयों की सूचना ग्रहण की गई।
- निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन के आधार पर निम्नलिखित महाविद्यालय को उनके नाम के सम्मुख दर्शित कक्षा/विषय, छात्र-संख्या एवं सत्रानुसार अस्थायी संबद्धता दिए जाने के संबंध में विस्तृत टीप के साथ, सूची निम्नानुसार है -

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय	सीट संख्या	सत्र
i	शासकीय माता कर्मा कन्या महाविद्यालय, महासमुंद	M.Com.-I & II Semester	30	2023-24
निर्णय: निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित कमियों की पूर्ति सत्रांत तक पूर्ण करने के शर्त पर अस्थायी संबद्धता प्रदान करने की अनुशंसा की गई।				
क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय	सीट संख्या	सत्र
ii	नवीन शासकीय महाविद्यालय, माना कैम्प, रायपुर, जिला-रायपुर	B.A.-I- F.C. (Hindi & English Language), Political Sc., Sociology, History,	90	2023-24
		B.Sc.-I-Computer Sc.	45	
		B.Sc.-I- (Masths Group) - FC (Hindi & English Language), Chemistry, Maths, Physics	45	
		B.Com.- I- Compulsory subject	90	
निर्णय: निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित कमियों की पूर्ति सत्रांत तक पूर्ण करने के शर्त पर अस्थायी संबद्धता प्रदान करने की अनुशंसा की गई।				

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय	सीट संख्या	सत्र
iii	शास. नवीन कन्या महाविद्यालय, गोबरा-नवापारा, जिला-रायपुर	B.Sc.-III- Bio Group (F.C.-Hindi, English), Botany, Zoology, Chemistry	45	2023-24
		B.Sc.-III- Maths Group (F.C.-Hindi, English), Chemistry, Maths, Physics	45	
		B.A.-III- (F.C.-Hindi, English), Political Science, Geography, Sociology	90	
		B.Com.-III- All Compulsory Subject	90	
निर्णय: निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित कमियों की पूर्ति सत्रांत तक पूर्ण करने के शर्त पर अस्थायी संबद्धता प्रदान करने की अनुशंसा की गई।				
क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय	सीट संख्या	सत्र
iv	यशवंत राव मेघावले शास. महाविद्यालय, मगरलोड, जिला-धमतरी	B.Sc.-III- Maths, Physics	40	2023-24
		B.A.-III- Hindi Literature	40	
निर्णय: निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित कमियों की पूर्ति सत्रांत तक पूर्ण करने के शर्त पर अस्थायी संबद्धता प्रदान करने की अनुशंसा की गई।				
क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय	सीट संख्या	सत्र
v	डॉ. राधाबाई शासकीय नवीन कन्या महा. रायपुर	M.Sc.-I/II Sem. Chemistry	20	2023-24
		Botany	20	
निर्णय: निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित कमियों की पूर्ति सत्रांत तक पूर्ण करने के शर्त पर अस्थायी संबद्धता प्रदान करने की अनुशंसा की गई।				
क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय	सीट संख्या	सत्र
vi	सत्यनारायण अग्रवाल शास. कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, कोहका-नेवरा, जिला-रायपुर	M.Sc.-I/II Sem. Maths	20	2023-24
निर्णय: निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित कमियों की पूर्ति सत्रांत तक पूर्ण करने के शर्त पर अस्थायी संबद्धता प्रदान करने की अनुशंसा की गई।				
क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय	सीट संख्या	सत्र
vii	स्व. रामनाथ वर्मा शास. महाविद्यालय, मोपका-निपनिया, जिला-बलौदाबाजार -भाटापारा	B.Sc.-I- Botany, Zoology	90	2023-24
निर्णय: निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित कमियों की पूर्ति सत्रांत तक पूर्ण करने के शर्त पर अस्थायी संबद्धता प्रदान करने की अनुशंसा की गई।				



क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय	सीट संख्या	सत्र
viii	स्व. श्री जयदेव सतपथी शास. महा. बसना, जिला— महासमुंद	PGDCA (Self Finance)	30	2023—24
निर्णय: निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित कमियों की पूर्ति सत्रांत तक पूर्ण करने के शर्त पर अस्थायी संबद्धता प्रदान करने की अनुशंसा की गई।				
क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय	सीट संख्या	सत्र
ix	शास. शहीद वीर नारायण सिंह महा. बिलाईगढ़, जिला—सारंगढ़—बिलाईगढ़	M.Sc.-III/IV Sem. Chemistry	30	2023—24
		M.Sc.-III/IV Sem. Botany	30	
		निर्णय: निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित कमियों की पूर्ति सत्रांत तक पूर्ण करने के शर्त पर अस्थायी संबद्धता प्रदान करने की अनुशंसा की गई।		
क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय	सीट संख्या	सत्र
x	संत गुरु घासीदास शास. स्नातकोत्तर महा. कुरुद, जिला—धमतरी	M.Sc.-I/II Sem. Information Technology (I.T.)	20	2023—24
निर्णय: निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित कमियों की पूर्ति सत्रांत तक पूर्ण करने के शर्त पर अस्थायी संबद्धता प्रदान करने की अनुशंसा की गई।				
क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय	सीट संख्या	सत्र
xi	दिशा कॉलेज रामनगर, कोटा मार्ग, रायपुर	B.A. (F.C., Sociology, Hindi Litt., Psychology, Political Sc., Economics, History (New Course)	60	2023—24
		B.Sc.- Seat extension	40	
		M.Sc. Final Year Maths	30	
निर्णय: सत्र 2023—24 के लिए अस्थायी संबद्धता प्रदान करने की अनुशंसा की गई एवं निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति सत्रांत तक पूर्ण करने की अनुशंसा की गई। शर्तें पूर्ण न करने की स्थिति में संबद्धता पर पुनर्विचार हेतु शासन को पत्र प्रेषित किया जाए।				
क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय	सीट संख्या	सत्र
xii	श्री शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडिज, पुराना धमतरी रोड, सेजबहार, रायपुर, जिला—रायपुर	B.B.A. Seat extension	30	2023—24
		B.Com.- Seat extension	30	
निर्णय: सत्र 2023—24 के लिए अस्थायी संबद्धता प्रदान करने की अनुशंसा की गई एवं निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति सत्रांत तक पूर्ण करने की अनुशंसा की गई। शर्तें पूर्ण न करने की स्थिति में संबद्धता पर पुनर्विचार हेतु शासन को पत्र प्रेषित किया जाए।				



क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय	सीट संख्या	सत्र
xiii	इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी एंड साइंसेस गरियाबंद, जिला-गरियाबंद	बी.एस.सी. बायो अंतिम वर्ष (रसायन, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान)	30	2023-24
		बी.एस.सी. गणित अंतिम वर्ष (भौतिक शास्त्र, रसायनशास्त्र, गणित)	30	
निर्णय: सत्र 2023-24 के लिए अस्थायी संबद्धता प्रदान करने की अनुशंसा की गई एवं निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति सत्रांत तक पूर्ण करने की अनुशंसा की गई। शर्तें पूर्ण न करने की स्थिति में संबद्धता पर पुनर्विचार हेतु शासन को पत्र प्रेषित किया जाए।				

04. शासकीय दू.ब. महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायपुर को अर्थशास्त्र विषय में शोध-केंद्र की मान्यता प्रदान करने के संबंध में विचार करना।

निर्णय: अनुशंसा की गई।

05. (1) श्री रावतपुरा सरकार कॉलेज ऑफ एजुकेशन, ग्राम पचेड़ा, अभनपुर, रायपुर, (2) रविशंकर ग्लोबल एजुकेशन कॉलेज, ग्राम-धनेली, माना जिला-रायपुर, (3) श्री रावतपुरा सरकार कॉलेज ऑफ एजुकेशन, ग्राम धनेली, माना, रायपुर एवं (4) श्री रावतपुरा सरकार इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, नया रायपुर को शैक्षणिक सत्र 2023-24 से असम्बद्ध करने के संबंध में विचार करना।

निर्णय: सम्बद्धता समाप्त करने की सैद्धांतिक सहमति संशोधित विनियम क्रमांक 129 के अंतर्गत प्रदान की गई। माननीय उच्च न्यायालय में लंबित प्रकरण WPC –Case No. WPC/2229/2019 और WPC/2230/2019 को वापस लेने के पश्चात् ही उक्त संदर्भ में अग्रेतर प्रशानिक कार्यवाही किए जाने की अनुशंसा की गई।

06. अध्यादेशों के परीक्षण हेतु गठित समिति की शुक्रवार, दिनांक 08.09.2023 को एम.एस-सी. (आई. टी.) एवं एम.एस-सी. (कम्प्यूटर साइंस) पाठ्यक्रम के अध्यादेश में संशोधन के संबंध में "बैठक दिनांक 04.08.2023 के पद क्रमांक (2) में प्रस्तावित संशोधन को निरस्त करते हुए प्रस्तावित संशोधित अध्यादेश क्रमांक 149 एवं 150 को अंगीकृत किए जाने का निर्णय लिया गया है।" अनुशंसा हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय: प्रस्तावित संशोधित अध्यादेश क्रमांक 149 एवं 150 की अनुशंसा की गई।

07. अध्यादेश परीक्षण हेतु गठित समिति की शुक्रवार, दिनांक 08.09.2023 को आयोजित बैठक में प्राचार्य, शास. नागार्जुन विज्ञान महाविद्यालय, रायपुर द्वारा प्रेषित पत्र क्रमांक 904/2023 दिनांक 06.07.2023 के द्वारा विषय समूह के निर्धारण के संबंध में विचार करना।

निर्णय: अध्यादेश परीक्षण हेतु गठित समिति की शुक्रवार, दिनांक 08.09.2023 को आयोजित बैठक में निम्नलिखित विषय समूह के निर्धारण हेतु विचार किया गया –

- (1) भौतिक शास्त्र, गणित, भूगोल
- (2) गणित, रसायनशास्त्र, अर्थशास्त्र
- (3) रसायनशास्त्र, वनस्पतिशास्त्र, भूगोल
- (4) रसायनशास्त्र, प्राणीशास्त्र, अर्थशास्त्र

निर्णय लिया गया कि – "(1) उपरोक्त प्रस्तावित विषय समूह को विश्वविद्यालय के संशोधित अध्यादेश क्रमांक 21 में सम्मिलित कर समाहित किए जाने का अनुरोध किया गया है, जिसका निर्णय पद क्रमांक (4) में उल्लेखित है।"

(4) विज्ञान महाविद्यालय, रायपुर के प्रस्तावित पाठ्यक्रम विषय समूह अध्यादेश क्रमांक 197 एवं विनियम क्रमांक 201 से संचालित है, दोनों में विषय समूहों का उल्लेख नहीं किया गया है। अतः उपरोक्त विषय समूह को समाहित किए जाने की अनुशंसा की गई।

08. बी.एस-सी. के अध्यादेश क्रमांक 21 की कंडिका 6 की उप कंडिका (ii) के सरल क्रमांक 26 एवं 27 में विषय समूह निर्धारण के संबंध में विचार करना।

निर्णय: बी.एस-सी. के अध्यादेश क्रमांक 21 की कंडिका 6 की उप कंडिका (ii) के सरल क्रमांक 26 एवं 27 में विषय समूह निर्धारण हेतु अध्यक्ष अध्ययन मण्डल द्वारा निम्नानुसार विषय समूह निर्धारण किए जाने की अनुशंसा की गई -

(26) Physics, Mathematics, Computer Science/Information Technology/Computer Application.

(27) Chemistry, Mathematics, Computer Science/Information Technology/Computer Application

09. भारत का राजपत्र, असाधारण भाग-III-खण्ड 4 प्राधिकारी से प्रकाशित सं. 271, नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 18, 2018 के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अधिसूचना नई दिल्ली, 18 जुलाई, 2018 (विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हता तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रखरखाव हेतु अन्य उपाय संबंधी विनियम, 2018) को विश्वविद्यालय परिनियम 28 में समाहित किए जाने हेतु अंगीकृत करने के संबंध में विचार करना।

निर्णय: अंगीकृत करते हुए परिनियम 28 में समाहित किए जाने की अनुशंसा की गई।

10. चंद्रपाल डडसेना शासकीय महाविद्यालय, पिथौरा, जिला-महासमुंद में संचालित बी.एस-सी. (विज्ञान समूह), एम.ए. अंग्रेजी, इतिहास एवं पी.जी.डी.सी.ए. में सीट वृद्धि के संबंध में विचार करना।

निर्णय: चंद्रपाल डडसेना शासकीय महाविद्यालय, पिथौरा, जिला-महासमुंद में संचालित पाठ्यक्रम बी.एस-सी. (विज्ञान समूह), एम.ए. अंग्रेजी, इतिहास एवं पी.जी.डी.सी.ए. में छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर का पत्र क्र. एफ 3-48/2023/38-1 नवा रायपुर, दिनांक 14.07.2023 के द्वारा सीट वृद्धि आदेश का निम्नानुसार अनशंसा किया गया :-

क्र.	कक्षा का नाम	संचालन का प्रकार	निर्धारित सीट संख्या	सीट वृद्धि	कुल सीट संख्या
1.	बी.एस-सी. (विज्ञान समूह)	शासन से	115	35	150
2.	एम.ए. अंग्रेजी	शासन से	30	20	50
3.	एम.ए. इतिहास	शासन से	30	20	50
4.	पी.जी.डी.सी.ए.	जनभागीदारी मद	60	15	75

11. पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर में संचालित विश्वविद्यालय पत्र क्र. 6102/अका./2015 रायपुर दिनांक 29/10/2015 द्वारा गठित Question Paper reform committee द्वारा अनुशंसित एवं सत्र 2016-17 से प्रभावशील एम.ए., एम. काम., एम.एस-सी., एम.सी.ए., एलएल.एम., एम.पी.एड. एवं एम.लिब. परीक्षाओं के सेमेस्टर सिस्टम के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के Question Paper Pattern में परिवर्तन संबंधी परीक्षा प्रकरण निवारण समिति (Examination Affairs Redressal Committee) की बैठक दिनांक 13/06/2023 के कार्यवृत्त का अनुमोदन करने बाबत।

निर्णय: पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर में संचालित एम.ए., एम. काम., एम.एस-सी., एम.सी.ए., एलएल.एम., एम.पी.एड. एवं एम.लिब. परीक्षाओं के सेमेस्टर सिस्टम के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में विश्वविद्यालय पत्र क्र. 6102/अका./2015 रायपुर दिनांक 29/10/2015 द्वारा गठित Question Paper reform committee द्वारा अनुशंसित एवं सत्र 2016-17 से प्रभावशील एवं प्रचलित Question Paper Pattern के स्थान पर विश्वविद्यालय अधिसूचना क्र. 685 /परीक्षा/2023 रायपुर दिनांक 11/05/2023 द्वारा गठित परीक्षा प्रकरण निवारण समिति

(Examination Affairs Redressal Committee) की बैठक दिनांक 13/06/2023 द्वारा निम्नानुसार परिवर्तन की अनुशंसा की गयी है।

- प्रश्नपत्र के पूर्णांक पाठ्यक्रम योजना अनुसार होगा।
- प्रश्नपत्र 3 खण्ड (खण्ड अ, खण्ड ब एवं खण्ड स) में विभक्त होगा।
- सभी खण्ड में प्रत्येक इकाई से प्रश्न पूछे जाएंगे।
- खण्ड अ तथा खण्ड ब के सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे।
- खण्ड स में आन्तरिक विकल्प दिया जाएगा।

प्रश्नपत्र में प्रश्न एवं अंकों का विभाजन पूर्णक 80 एवं 100 के आधार पर निम्नानुसार होगा:-
पूर्णांक 80 अंक हेतु

प्रश्नपत्र प्रतिरूप	खण्ड	कुल प्रश्न	प्रति प्रश्न अंक	कुल अंक
बहुवैकल्पिक/रिक्त स्थान/एक शब्द में उत्तर	A	8 अथवा 10	2.5 अथवा 2	20
लघुउत्तरीय (≤100 शब्द)	B	4 अथवा 5	5 अथवा 4	20
दीर्घउत्तरीय, प्रत्येक इकाई से 1 प्रश्न (≥350 शब्द)	C	4 अथवा 5	10 अथवा 8	40
कुल अंक				80

पूर्णांक 100 अंक हेतु

प्रश्नपत्र प्रतिरूप	खण्ड	कुल प्रश्न	प्रति प्रश्न अंक	कुल अंक
बहुवैकल्पिक/रिक्त स्थान/एक शब्द में उत्तर	A	8 अथवा 10	2.5 अथवा 2	20
लघुउत्तरीय (≤100 शब्द)	B	4 अथवा 5	7.5 अथवा 6	30
दीर्घउत्तरीय, प्रत्येक इकाई से 1 प्रश्न (≥350 शब्द)	C	4 अथवा 5	12.5 अथवा 10	50
कुल अंक				100

उक्त अनुशंसित Question Paper Pattern सत्र 2023-24 से उपर्युक्त सभी सेमेस्टर परीक्षाओं के लिए प्रभावशील होगा।

उपरोक्तानुसार स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के Question Paper Pattern में परिवर्तन संबंधी परीक्षा प्रकरण निवारण समिति (Examination Affairs Redressal Committee) की बैठक दिनांक 13/06/2023 के कार्यवृत्त की अनुशंसा की गई।

- एक ही शिक्षा सत्र में एक साथ दो डिग्री या एक डिग्री एवं एक डिप्लोमा परीक्षा में सम्मिलित होकर अर्जित किए गए डिग्री/डिप्लोमा के आधार पर छात्रों का विश्वविद्यालय में प्रवेश पात्रता के संबंध में विचार करना।

निर्णय: विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 6 Examination (General) के Part-V General Conditions applicable to all Students अंतर्गत कंडिका (16) के प्रथम एवं द्वितीय पैरा के अनुसार प्रवेश की पात्रता नहीं होने की अनुशंसा की गई।

- पं. रविशंकर वि.वि. में Distinguished Professor के Honorary Engagement के संबंध में विचार करना।

निर्णय: पं. रविशंकर वि.वि. में Distinguished Professor के Honorary Engagement के संबंध में प्रस्तावित विनियम की अनुशंसा की गई।

- स्नातक स्तर चार वर्षीय पाठ्यक्रम (FYUP) संबंधी अध्यादेश क्रमांक-197 में संशोधन/एकरूपता हेतु गठित समिति द्वारा आवश्यक संशोधन उपरांत प्रस्तुत अध्यादेश के संबंध में।

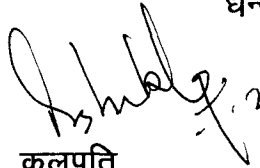
निर्णय: स्नातक स्तर चार वर्षीय पाठ्यक्रम (FYUP) संबंधी अध्यादेश क्रमांक-197 में संशोधन प्रस्ताव की अनुशंसा की गई।

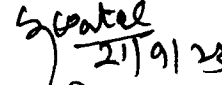


15. डी.लिट. उपाधि प्राप्त करने के पश्चात् नवीन शीर्षक के साथ पुनः डी.लिट. पंजीयन हेतु गठित समिति के प्रतिवेदन पर विचार करना।

निर्णय: अध्यादेश 46 (Doctor of Letters/Science/Laws) के बिंदु क्रमांक 01 के अनुसार डी.लिट. उपाधि हेतु उम्मीदवार को पी-एच.डी. उपाधि प्राप्त करने के 05 वर्ष बाद तथा 10 शोध पत्र किसी स्तरीय (मानक) शोध पत्रिका में प्रकाशित किए जाने के उपरांत डी.लिट. उपाधि हेतु आवेदन की पात्रता है। इस प्रावधान को ध्यान में रखने हेतु डी.लिट. उपाधि प्राप्त करने के 05 वर्ष बाद तथा विषय से संबंधित 10 नए शोध पत्र स्तरीय (मानक) शोध पत्रिकाओं में प्रकाशित करने के उपरांत ही आगामी शोध उपाधि हेतु आवेदन पर विचार किए जाने का निर्णय लिया गया।

धन्यवाद ज्ञापन करने के साथ बैठक संपन्न हुई।

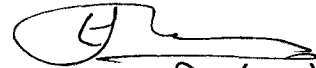

कुलपति
अध्यक्ष


कुलसचिव
सचिव

पृ. क्रमांक : 763 / अका. / वि.प.स्थायी समिति / 2023
प्रतिलिपि :-

रायपुर, दिनांक 21 / 09 / 2023

1. समस्त संकायाध्यक्षों को,
2. वित्त नियंत्रक / अंकेक्षण,
3. उ.कु.स. परीक्षा / सामान्य प्रशासन / स.कु.स. गोपनीय,
4. संचालक, आई.क्यू.ए.सी.,
5. कुलपति / कुलसचिव के निज सहायक, पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाही हेतु अग्रेषित।


उप-कुलसचिव (अका.)



क्रमांक : 2060/अका./वि.प.स्थायी समिति/2023

रायपुर, दिनांक 19 / 12 / 2023

विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् के स्थायी समिति की बैठक मंगलवार, दिनांक 19.12.2023 को मध्याह्न 12:00 बजे विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन के कुलपति सचिवालय के सभा-कक्ष में संपन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए -

1. प्रो. सच्चिदानंद शुक्ल, कुलपति	—	अध्यक्ष
2. डॉ. शैल शर्मा	—	सदस्य
3. डॉ. आर.के. ब्रह्मे	—	सदस्य
4. डॉ. व्यास दुबे	—	सदस्य
5. डॉ. तपेश चंद्र गुप्ता	—	सदस्य
6. डॉ. राजीव चौधरी	—	सदस्य
7. डॉ. संजय जे. डहरवाल	—	सदस्य
8. डॉ. (श्रीमती) अदिति पोद्दार	—	सदस्य
9. डॉ. ए.के. श्रीवास्तव	—	सदस्य
10. डॉ. राजय कुमार	—	सदस्य
11. डॉ. शैलेंद्र कुमार पटेल, कुलसचिव	—	सचिव

कार्यवृत्त

01. विद्या-परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 21.09.2023 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना।

निर्णय: विद्या-परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 21.09.2023 के बिंदु क्रमांक 15 को निम्नानुसार संशोधित करते हुए शेष निर्णय की सम्पुष्टि की गई -

संशोधित निर्णय 15 "अध्यादेश 46 (Doctor of Letters/Science/Laws) के बिंदु क्रमांक 01 के अनुसार डी.लिट उपाधि हेतु उम्मीदवार को पी-एच.डी. उपाधि प्राप्त करने के 05 वर्ष बाद तथा 10 शोध पत्र किसी स्तरीय (मानक) शोध पत्रिका में प्रकाशित किए जाने के उपरांत डी.लिट. उपाधि हेतु आवेदन की पात्रता है। इस प्रावधान को ध्यान में रखने हेतु डी.लिट. उपाधि प्राप्त करने के 05 वर्ष बाद तथा विषय से संबंधित 10 नए शोध पत्र स्तरीय (मानक) शोध पत्रिकाओं में प्रकाशित करने के उपरांत Allied विषयों पर ही आगामी शोध उपाधि हेतु आवेदन पर विचार किए जाने का निर्णय लिया गया।"

02. विद्या-परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 21.09.2023 के पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय: सूचना ग्रहण की गई।

03. निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन के आधार पर निम्नलिखित महाविद्यालय को उनके नाम के सम्मुख दर्शित कक्षा/विषय, छात्र-संख्या एवं सत्रानुसार अस्थायी संबद्धता दिए जाने के संबंध में विस्तृत टीप के साथ, सूची निम्नानुसार है -

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय	छात्र संख्या	सत्र
i.	शासकीय गजानंद अग्रवाल स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भाटापारा, जिला- बलौदाबाजार- भाटापारा	B.A.-III- English Literature	50	2023-24
निर्णय: निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित कमियों की पूर्ति सत्रांत तक पूर्ण करने के शर्त पर अस्थायी संबद्धता प्रदान करने की अनुशंसा की गई।				
क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय	छात्र संख्या	सत्र
ii.	शहीद नंद कुमार पटेल शासकीय महाविद्यालय, बीरगाँव, जिला-रायपुर	M.A. -I/II Sem.- Sociology	40	2023-24
निर्णय: निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित कमियों की पूर्ति सत्रांत तक पूर्ण करने के शर्त पर अस्थायी संबद्धता प्रदान करने की अनुशंसा की गई।				
क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय	छात्र संख्या	सत्र
iii.	श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महावि. कचहरी चौक, रायपुर	B.Sc.-II year- Electronics	50	2004-05
		B.Sc.-III year- Electronics	50	2005-06
		B.C.A.-II	30	2009-10
		B.C.A.-III	30	2010-11
निर्णय: उपरोक्त सत्रानुसार अस्थायी संबद्धता प्रदान करने हेतु निम्नानुसार संकायाध्यक्षों की समिति का गठन किया गया- (1) डॉ. ए.के. श्रीवास्तव, संकायाध्यक्ष, प्रबंध संकाय (2) डॉ. आर.के. ब्रह्मे, संकायाध्यक्ष, सामाजिक विज्ञान संकाय (3) डॉ. एस.जे. डहरवाल, संकायाध्यक्ष, टेक्नालॉजी संकाय				
क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय	छात्र संख्या	सत्र
iv.	दारु कल्याण सिंह सोनवानी महाविद्यालय, जी-जामगांव, जिला-धमतरी	एम.ए. (राजनीतिशास्त्र), (समाजशास्त्र) (भूगोल) (अर्थशास्त्र), (अंग्रेजी साहित्य) नवीन विषय	30	2023-24
		बी.ए. (सीट वृद्धि)	80	
		पी.जी.डी.सी.ए. (सीट वृद्धि)	50	
निर्णय: सत्र 2023-24 के लिए अस्थायी संबद्धता प्रदान करने की अनुशंसा की गई एवं निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति सत्रांत तक पूर्ण करने की अनुशंसा की गई। शर्तें पूर्ण न करने की स्थिति में संबद्धता पर पुनर्विचार हेतु शासन को पत्र प्रेषित किया जाए।				
क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय	छात्र संख्या	सत्र
v.	शांति निकेतन महाविद्यालय, चंगोराभाठा, रायपुरा, रायपुर	बी.सी.ए. तृतीय वर्ष	30	2023-24
निर्णय: भूमि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत करने के पश्चात् आगामी बैठक में प्रस्तुत किए जाने की अनुशंसा की गई।				

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय	छात्र संख्या	सत्र
vi.	शास. काव्योपाध्याय हीरालाल महा. अभनपुर, जिला-रायपुर	M.A.-I/II Sem. Geography	40	2023-24
		M.A.-I/II Sem. Sociology	40	
		निर्णय: निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित कमियों की पूर्ति सत्रांत तक पूर्ण करने के शर्त पर अस्थायी संबद्धता प्रदान करने की अनुशंसा की गई।		
क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय	छात्र संख्या	सत्र
vii.	डॉ. राधाबाई शास. नवीन कन्या महावि. रायपुर	M.Sc.-III/IV Sem. Zoology	25	2023-24
		M.Sc.-III/IV Sem. Physics	25	
		M.Com.-III/IV Sem. (Self Finance)	40	2022-23
निर्णय: निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित कमियों की पूर्ति सत्रांत तक पूर्ण करने के शर्त पर अस्थायी संबद्धता प्रदान करने की अनुशंसा की गई।				
क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय	छात्र संख्या	सत्र
viii.	नवीन शासकीय महाविद्यालय, कोमाखान, जिला-महासमुंद	B.Sc.-I- Maths Group - (F.C.- Hindi, English), Chemistry, Maths, Physics	30	2023-24
		B.Sc.-I- Bio Group - (F.C.- Hindi, English), Botany, Zoology, Chemistry	60	
		B.A.-I- (F.C.- Hindi, English), Political Science, Economics, History	90	
		B.Com.-I All Compulsory Subject	90	
		निर्णय: निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित कमियों की पूर्ति सत्रांत तक पूर्ण करने के शर्त पर अस्थायी संबद्धता प्रदान करने की अनुशंसा की गई।		
क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय	छात्र संख्या	सत्र
ix.	नवीन शासकीय महाविद्यालय, भंवरपुर, जिला-महासमुंद	B.A.-I- (F.C.- Hindi, English), Political Science, Sociology, Geography	90	2023-24
		B.Sc.-I- Bio Group - (F.C.- Hindi, English), Botany, Zoology, Chemistry	60	
		B.Sc.-I- Maths Group - (F.C.- Hindi, English), Physics, Chemistry, Maths,	30	
		B.Com.-I All Compulsory Subject	90	
		निर्णय: निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित कमियों की पूर्ति सत्रांत तक पूर्ण करने के शर्त पर अस्थायी संबद्धता प्रदान करने की अनुशंसा की गई।		
क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय	छात्र संख्या	सत्र
x.	संत गुरु घासीदास शास. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कुरुद, जिला-धमतरी	M.Sc.-I/II Sem.- Microbiology	30	2023-24
		M.Sc.-I/II Sem.- Computer Science	30	
निर्णय: निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित कमियों की पूर्ति सत्रांत तक पूर्ण करने के शर्त पर अस्थायी संबद्धता प्रदान करने की अनुशंसा की गई।				

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय	छात्र संख्या	सत्र
xi.	पियाली फाउंडेशन कॉलेज ऑफ स्पेशल एजुकेशन, 1 / 10, राजीव नगर, पो.आ.-शंकर नगर, रायपुर (Piyali Foundation College of Special Education" 1/10, Rajeev Nagar PO.Shankar Nagar, Raipur)	B.Ed. Special Education (Intellectual Disabilities) B.Ed. Spl.Ed.(I.D.) Duration Two Years	30	2023-24, 2024-25, 2025-26
		निर्णय: भूमि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत करने के पश्चात् आगामी बैठक में प्रस्तुत किए जाने की अनुशंसा की गई।		
क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय	छात्र संख्या	सत्र
xii.	शासकीय राजीवलोचन स्नातकोत्तर महा. राजिम, जिला-गरियाबंद	M.S.W.- III/IV Sem. (Under Self Finance)	30	2023-24
		निर्णय: निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित कमियों की पूर्ति सत्रांत तक पूर्ण करने के शर्त पर अस्थायी संबद्धता प्रदान करने की अनुशंसा की गई।		
क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय	छात्र संख्या	सत्र
xiii.	शासकीय नारायण राव मेघावले कन्या महाविद्यालय, धमतरी (छ.ग.)	M.Sc.-I/II Sem.- Chemistry	30	2023-24
		निर्णय: निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित कमियों की पूर्ति सत्रांत तक पूर्ण करने के शर्त पर अस्थायी संबद्धता प्रदान करने की अनुशंसा की गई।		
क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय	छात्र संख्या	सत्र
xiv.	रामचण्डी महाविद्यालय, सरायपाली, जिला-महासमुंद (छ.ग.)	B.Sc.-Computer Science (Maths, Physics, Computer Science)	30	2022-23
		निर्णय: सत्र 2023-24 के लिए अस्थायी संबद्धता प्रदान करने की अनुशंसा की गई एवं निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति सत्रांत तक पूर्ण करने की अनुशंसा की गई। शर्तें पूर्ण न करने की स्थिति में संबद्धता पर पुनर्विचार हेतु शासन को पत्र प्रेषित किया जाए।		
क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय	छात्र संख्या	सत्र
xv.	श्री शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडिज, पुराना धमतरी रोड, सेजबहार, रायपुर	B.Sc.-II- Maths (Physics, Chemistry, Maths)	30	2023-24
		B.Sc.-III Bio Group (Botany, Zoology, Chemistry)	40	
निर्णय: सत्र 2023-24 के लिए अस्थायी संबद्धता प्रदान करने की अनुशंसा की गई एवं निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति सत्रांत तक पूर्ण करने की अनुशंसा की गई। शर्तें पूर्ण न करने की स्थिति में संबद्धता पर पुनर्विचार हेतु शासन को पत्र प्रेषित किया जाए।				

4. डॉ. भीमराव अम्बेडकर शासकीय महाविद्यालय, बलौदा, जिला-महासमुंद में संचालित बी.ए. एवं बी.एस-सी. (विज्ञान समूह) में सीट वृद्धि के संबंध में विचार करना।

निर्णय: डॉ. भीमराव अम्बेडकर शासकीय महाविद्यालय, बलौदा, जिला-महासमुंद में संचालित पाठ्यक्रम बी.ए. एवं बी.एस-सी. (विज्ञान समूह) में छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा संचालनालय, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर का पत्र क्र. 197/05/आउशि/याजना/2023 नवा रायपुर, दिनांक 18.07.2023 के द्वारा सीट वृद्धि आदेश का निम्नानुसार अनुशंसा प्रदान किया गया है:-

क्र.	कक्षा का नाम	संचालन का प्रकार	निर्धारित सीट संख्या	सीट वृद्धि	कुल सीट संख्या
1.	बी.ए.	शासन से	60	20	80
2.	बी.एस-सी. (विज्ञान समूह)	शासन से	60	20	80

5. अध्यादेश क्रमांक 45 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (पी-एच.डी. उपाधि प्रदान करने हेतु न्यूनतम मानदंड और प्रक्रिया विनियम) 2022 के अनुक्रम में संशोधित अध्यादेश क्रमांक 45 पर विचार करना।

निर्णय: संशोधित अध्यादेश क्रमांक 45 के बिंदु क्रमांक 3 में निम्नांकित प्रावधान "**Provided further that, other than the Provisions of Clause 3, Kulapati may further extend the period of submission on the basis of genuineness/merit of the case.**" को जोड़ते हुए अनुशंसा की गई।

6. विवेकानंद महाविद्यालय, मौदहापारा, रायपुर बी.बी.ए., बी.सी.ए., पी.जी.डी.सी.ए., बी.कॉम. एवं एम. कॉम. की स्थायी सम्बद्धता हेतु विश्वविद्यालय उच्च न्यायालय पैनल अधिवक्ता श्री नीरज चौबे द्वारा प्रस्तुत अभिमत के संबंध में विचार करना।

निर्णय: विवेकानंद महाविद्यालय, मौदहापारा, रायपुर बी.बी.ए., बी.सी.ए., पी.जी.डी.सी.ए., बी.कॉम. एवं एम.कॉम. की स्थायी सम्बद्धता की अनुशंसा की गई।

7. महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, रायपुर बी.एस.सी. (सी.एस.)-40 सीट, बी.एस.सी. (आई. टी.) 40 सीट, एम.एस.सी. (आई.टी.) 30 सीट, एम.ए. हिन्दी 30 सीट, एम.ए. (राजनीति विज्ञान) 30 सीट नवीन विषय की सम्बद्धता हेतु विश्वविद्यालय उच्च न्यायालय पैनल अधिवक्ता श्री नीरज चौबे द्वारा प्रस्तुत अभिमत के संबंध में विचार करना।

निर्णय: महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, रायपुर बी.एस.सी. (सी.एस.)-40 सीट, बी.एस.सी. (आई.टी.) 40 सीट, एम.एस.सी. (आई.टी.) 30 सीट, एम.ए. हिन्दी 30 सीट, एम.ए. (राजनीति विज्ञान) 30 सीट नवीन विषय की सम्बद्धता की अनुशंसा की गई।

8. श्री रावतपुरा सरकार इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, धनेली, रायपुर के स्थान परिवर्तन हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (NCTE) का Shifting Order पत्र क्रमांक F.No. WRC/WRCAPP - 1333/B.P.ED./392nd /Chhattisgarh/2023/220411 दिनांक 28.08.2023 के संबंध में विचार करना।

निर्णय: राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (NCTE) ने अपने पत्र क्रमांक F.No. WRC/WRCAPP - 1333/B.P.ED./392nd /Chhattisgarh/2023/220411 दिनांक 28.08.2023 के द्वारा Shifting Order में SHRI RAWATPURA SARKAR INSTITUTE OF PHYSICAL EDUCATION PLOT NO. 629, 1156, 1667, 1562, 1561, 1668 VILL-POST-PACHEDA, TEHSIL-ABHANPUR, DIST.-RAIPUR-493663 CHHATTISGARH का स्थान परिवर्तन पश्चात् नवीन पता निम्नानुसार किए जाने की अनुशंसा की गई -

महाविद्यालय का पुराना पता	महाविद्यालय का परिवर्तन पश्चात् नवीन पता
SHRI RAWATPURA SARKAR INSTITUTE OF PHYSICAL EDUCATION PLOT NO. 629, 1156, 1667, 1562, 1561, 1668 VILL-POST-PACHEDA, TEHSIL-ABHANPUR, DIST.-RAIPUR-493663 CHHATTISGARH	SHRI RAWATPURA SARKAR INSTITUTE OF PHYSICAL EDUCATION KHASRA NO. 125/3, 125/4, 125/7, 125/8, 125/11, 126 and 127 1668 VILL/POST-MANA, NEAR SHADANI DARBAR, NEW DHAMTARI ROAD, RAIPUR, CHHATTISGARH

9. Certificate Courses in Econometrics & Mathematical Economics का Draft Ordinance के अनुमोदन के संबंध में विचार करना।

निर्णय: Certificate Courses in Econometrics & Mathematical Economics का Ordinance No. 202 की अनुशंसा की गई।

10. Bachelor of Physical Education (Four Year Degree Course) के उपाधि प्रोफार्मा के संशोधन के संबंध में विचार करना।

निर्णय: Bachelor of Physical Education (Four Year Degree Course) के उपाधि प्रोफार्मा के संशोधन में बी.पी.ई. (B.P.E.) समाहित करते हुए अनुशंसा की गई।

11. विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 21.09.2023 के विषय क्रमांक 16 में तथा कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 22.09.2023 के पूरक विषय क्रमांक 1 में एम.ए., एम.कॉम., एम.एस-सी., एम.सी.ए., एलएल.एम., एम.पी.एड. एवं एम.लिब. परीक्षाओं के सेमेस्टर सिस्टम के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के Question Paper Pattern में परिवर्तन संबंधी अनुमोदन के अनुक्रम में एम.एड., एम.बी.ए. एवं एम.टेक. पाठ्यक्रम के प्रश्न पत्र को भी विश्वविद्यालय अधिसूचना क्र. 862/अका./2023 रायपुर दिनांक 04.10.2023 के अनुसार परिवर्तन के प्रस्ताव अनुमोदन के संबंध में विचार करना।

निर्णय: अनुशंसा की गई।

12. सत्र 2023-24 के लिए निम्नलिखित महाविद्यालयों ने वार्षिक संबद्धता एवं वृद्धि शुल्क की राशि विश्वविद्यालय कोष में जमा कर दी है। वार्षिक संबद्धता आदेश प्रदान करने हेतु प्रकरण विद्यापरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत :-

क्रमांक	शासकीय महाविद्यालय
1	बद्रीप्रसाद लोधी स्नातकोत्तर शासकीय महाविद्यालय, आरंग जिला- रायपुर
2	शास. जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ महाविद्यालय, रायपुर
3	शासकीय नवीन महाविद्यालय, वटगन जिला- बलौदाबाजार-भाटापारा
4	शास. बृजलाल वर्मा महाविद्यालय, पलारी, जिला- बलौदाबाजार
5	शास. दाऊ कल्याण कला एवं वाणिज्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बलौदाबाजार, जिला-बलौदाबाजार
6	शास. दाऊ कल्याण कला एवं वाणिज्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बलौदाबाजार, जिला-बलौदाबाजार
7	बाबू पंडरी राव कृदत्त शासकीय महाविद्यालय, सिलौटी जिला- धमतरी
8	शास. सुखराम नागे, महाविद्यालय, सिहावा (नगरी) जिला-धमतरी
9	चंद्रपाल डडसेना शास. महा. पिथौरा, जिला-महासमुंद
10	शासकीय महाविद्यालय, लवन (बलौदाबाजार), जिला- बलौदाबाजार
11	शास. शहीद वीर नारायण सिंह महाविद्यालय, बिलाईगढ़, जिला- बलौदाबाजार (सत्र 2022-23 एवं 2023-24)
12	शास. महाप्रभु वल्लभाचार्य पी.जी. महाविद्यालय, महासमुंद
13	शास. नारायण राव मेघावले कन्या महाविद्यालय, धमतरी
14	श्री कुलेश्वर महादेव शासकीय महाविद्यालय, गोबरा नवापारा, जिला-रायपुर
15	शासकीय आदर्श महाविद्यालय, महासमुंद जिला-महासमुंद
16	फणिकेश्वर नाथ शासकीय महाविद्यालय, फिंगेश्वर, जिला-गरियाबंद
17	स्व. रामप्रसाद देवांगन शासकीय महाविद्यालय, खरोरा, जिला-रायपुर
18	शास. कचनां धुरवां महाविद्यालय, छुरा, जिला-गरियाबंद
19	नवीन शासकीय महाविद्यालय, कंडेल जिला-धमतरी
20	शास. वीर सुरेन्द्र साय कॉलेज, गरियाबंद, जिला-गरियाबंद
21	संत गुरु घासीदास शास. स्नातकोत्तर महा. कुरुद, जिला-धमतरी
क्रमांक	अशासकीय महाविद्यालय
1	दुलीचंद जालान कॉलेज ऑफ क्वालिटी एजुकेशन, तिलईपाली, सरसीवां जिला- बलौदाबाजार-भाटापारा
2	सांतवना मनोपचार एवं अनुसंधान संस्थान पी.जी. इंस्टिट्यूट आफ बिहेवियरले एंड मेडिकल साइंसेस रायपुर (छ.ग.)
3	दाऊ कल्याण सिंह सोनवानी महाविद्यालय जी - जामगांव, जिला-धमतरी (छ.ग.)
4	श्री रावतपुरा सरकार कालेज ऑफ एजुकेशन, प्लाट नं.-129, ग्राम-धनेली, पो.-माना कैम्प, रायपुर
5	रविशंकर ग्लोबल एजुकेशन कॉलेज, ग्राम- धनेली, माना, रायपुर
6	श्रीमती प्रमिला गोकूल दास डागा कन्या महाविद्यालय, कचहरी चौक, रायपुर
7	आदर्श महाविद्यालय, दतरेंगा, रायपुर
8	गुरुकुल महाविद्यालय, मगरलोड, जिला-धमतरी (छ.ग.)
9	श्रीराम कालेज, ग्राम व पोस्ट-सारागांव, जिला- रायपुर (छ.ग.)
10	शिक्षा स्नातक महाविद्यालय मांढर, रायपुर जिला-रायपुर (छ.ग.)
11	सजग महाविद्यालय, सारागांव जिला- रायपुर
12	दिशा कालेज आफ मैनेजमेंट, स्टडिज, सत्यविहार, विधान सभा, चंद्रखुरी मार्ग, बलौदाबाजार, मार्ग, रायपुर (छ.ग.)
13	ग्रेसियस कॉलेज आफ एजुकेशन, बेलभाटा, अभनपुर, रायपुर (छ.ग.)

14	क्रुति इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन, नरदहा, रायपुर
15	कोलम्बिया कॉलेज ऑफ साइंस एण्ड कामर्स, ग्राम- भुरकोनी पोस्ट. मांडर जिला- रायपुर
16	कोलम्बिया कालेज, प्लॉट नं.-97, ग्राम-टेकारी, पो.आ.-मांडर, जिला-रायपुर (छ.ग.) 493111
17	इंडियन कालेज आफ एजुकेशन, स्टेशन रोड, महासमुंद (छ.ग.)
18	आर.के.एस. महाविद्यालय, तिल्दा-नेवरा, जिला-रायपुर (छ.ग.)
19	शांति निकेतन महाविद्यालय, पानी टंकी के पास, चंगोराभाटा, रायपुर (छ.ग.)
20	छत्तीसगढ़ महतारी महाविद्यालय, भखारा जिला-धमतरी (छ.ग.)
21	पं. रामसखा उपाध्याय महाविद्यालय एकता नगर, गुड़ियारी, रायपुर (छ.ग.)
22	रामदर्शन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, ग्राम- जंघोरा, पो.+तह.- पिथौरा जिला- महासमुंद
23	महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल कॉलेज, श्री रामनाथ भिमसेन मार्ग, समता कॉलोनी, रायपुर
24	सैचुरी सिमेंट महाविद्यालय, बैकुण्ठ (तिल्दा), जिला-रायपुर (छ.ग.)
25	गुरुकुल इंस्टीट्यूट देवभोग रोड, गरियाबंद, जिला-गरियाबंद (छ.ग.)
26	श्री शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, मुजगहन पो.आ.- सेजबहार, जिला- रायपुर
27	आकांक्षा लायंस इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग एंड एम्पावरमेंट, अवंती विहार, रायपुर
28	विवेकानंद शिक्षा संस्थान, रामकृष्ण परमहंस नगर, कोटा, रायपुर (छ.ग.)
29	रामचण्डी महाविद्यालय, बगईजोर, सराईपाली (छ.ग.)
30	वदेमातरम महाविद्यालय, पुराना नूतन स्कूल, गणेश चौक, धमतरी
31	सी.आई.टी. बी.एड. कॉलेज, खसरा नं.-160, स्ट्रीट- एन.एच.-43, ग्राम-भेलवाडीह, अभनपुर, रायपुर
32	सी.आई.टी. साइंस एंड कामर्स कॉलेज, ग्राम-भेलवाडीह, अभनपुर, जिला-रायपुर (2022-23 एवं 2023-24)
33	आदर्श वाणिज्य एवं विान महाविद्यालय, नई गंज मंडी, रायपुर
34	आर्यभट्ट कला एवं विज्ञान महाविद्यालय, कोपरा, जिला-गरियाबंद
35	श्री पैरी गंगा महाविद्यालय मैनपुर, जिला-गरियाबंद
36	सेंट विसेंट पैलोटी महाविद्यालय, कांपा, रायपुर
37	अभ्युदय कॉलेज, चंदखुरी फार्म, रायपुर
38	गुरुकुल महिला महाविद्यालय, कालीबाड़ी, रायपुर
39	इंस्टीट्यूट आफ टेक्नालॉजी एंड साइंसेस देवभोग रोड, गरियाबंद, जिला-गरियाबंद
40	साईं सदन एजुकेशन स्कूल बेंद्री, तह.-अभनपुर, जिला-रायपुर

निर्णय: उपर्युक्त महाविद्यालयों को अंकित सत्र अनुसार अस्थायी वार्षिक संबद्धता प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

पूरक विषयसूची

01. निम्नलिखित सर्टिफिकेट पाठ्यक्रमों के प्रस्तावित अध्यादेश एवं विनियम की अनुशंसा पर विचार करना -

1. Certificate Course in Analytical Technique
Certificate Course in Soil and Water Analysis
Certificate Course in Food Adulteration and Toxicology
Certificate Course in Cement Chemistry
2. Certificate Course in Immunological Technique
Certificate Course in Molecular Techniques
3. Certificate Course in Diagnostic Microbiology
Certificate Course in Advance Techniques in Microbiology
4. Certificate Course on Rainwater harvesting

निर्णय: सर्टिफिकेट पाठ्यक्रमों के प्रस्तावित अध्यादेश एवं विनियम की अनुशंसा निम्नानुसार किया गया-
अध्यादेश क्रमांक-203 एवं विनियम क्रमांक-205

1. Certificate Course in Analytical Technique
Certificate Course in Soil and Water Analysis
Certificate Course in Food Adulteration and Toxicology
Certificate Course in Cement Chemistry
अध्यादेश क्रमांक-204 एवं विनियम क्रमांक-206
2. Certificate Course in Immunological Technique
Certificate Course in Molecular Techniques

अध्यादेश क्रमांक-205 एवं विनियम क्रमांक-207

3. Certificate Course in Diagnostic Microbiology

Certificate Course in Advance Techniques in Microbiology

अध्यादेश क्रमांक-206 एवं विनियम क्रमांक-208

4. Certificate Course on Rainwater harvesting

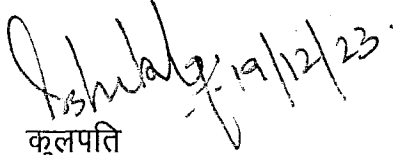
02. बी.सी.ए. के संशोधित अध्यादेश क्रमांक 107 BACHELOR OF COMPUTER APPLICATION (BCA) एवं एम.सी.ए. के संशोधित अध्यादेश क्रमांक 85 MASTER OF COMPUTER APPLICATIONS (TWO YEARS) की अनुशंसा पर विचार करना।

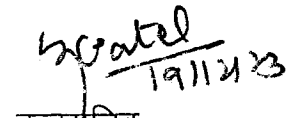
निर्णय: बी.सी.ए. के संशोधित अध्यादेश क्रमांक 107 BACHELOR OF COMPUTER APPLICATION (BCA) एवं एम.सी.ए. के संशोधित अध्यादेश क्रमांक 85 MASTER OF COMPUTER APPLICATIONS (TWO YEARS) के संबंध में शासन को अवगत कराते हुए आगामी बैठक में प्रस्तुत किए जाने की अनुशंसा की गई।

03. Revised BBA Ordinance No. 91 के संशोधन पर विचार करना।

निर्णय: Revised BBA Ordinance No. 91 के संबंध में शासन को अवगत कराते हुए आगामी बैठक में प्रस्तुत किए जाने की अनुशंसा की गई।

धन्यवाद ज्ञापन करने के साथ बैठक संपन्न हुई।

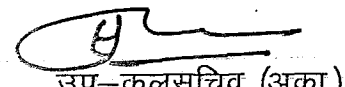

कुलपति
अध्यक्ष


कुलसचिव
सचिव

पृ. क्रमांक : 2061/अका./वि.प.स्थायी समिति/2023
प्रतिलिपि :-

रायपुर, दिनांक 19 / 12 / 2023

1. समस्त संकायाध्यक्षों को,
2. वित्त नियंत्रक/अंकेक्षण,
3. उ.कु.स. परीक्षा/सामान्य प्रशासन/स.कु.स. गोपनीय,
4. संचालक, आई.क्यू.ए.सी.,
5. कुलपति/कुलसचिव के निज सहायक, पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाही हेतु अग्रेषित।


उप-कुलसचिव (अका.)



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक : २५६२/अका./वि.प.स्थायी समिति/2024

रायपुर, दिनांक २९/०१/2024

विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् के स्थायी समिति की बैठक सोमवार, दिनांक 29.01.2024 को अपराह्न 03:00 बजे विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन के कुलपति सचिवालय के सभा-कक्ष में संपन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए –

1. प्रो. सच्चिदानंद शुक्ल, कुलपति	—	अध्यक्ष
2. डॉ. शैल शर्मा	—	सदस्य
3. डॉ. आर.के. ब्रह्मे	—	सदस्य
4. डॉ. व्यास दुबे	—	सदस्य
5. डॉ. तपेश चंद्र गुप्ता	—	सदस्य
6. डॉ. (श्रीमती) रश्मि मिंज	—	सदस्य
7. डॉ. संजय जे. डहरवाल	—	सदस्य
8. डॉ. (श्रीमती) अदिति पोद्दार	—	सदस्य
9. डॉ. (श्रीमती) पद्मा बोहरे	—	सदस्य
10. डॉ. संजय कुमार	—	सदस्य
11. डॉ. शैलेंद्र कुमार पटेल, कुलसचिव	—	सचिव

कार्यवृत्त

- विद्या-परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 19.12.2023 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना।
निर्णय: विद्या-परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 19.12.2023 के कार्यवृत्त के पूरक विषय सूची क्र. 2 के निर्णय में संशोधन करते हुए एम.सी.ए. के संशोधित अध्यादेश क्रमांक 85 मास्टर ऑफ कम्प्यूटर एप्लीकेशन (2 Years) का अनुशंसा करते हुए शेष कार्यवृत्त की सम्पुष्टि की गई।
- विद्या-परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 19.12.2023 के पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण करना।
निर्णय: सूचना ग्रहण की गई।
- निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन के आधार पर निम्नलिखित महाविद्यालय को उनके नाम के सम्मुख दर्शित कक्षा/विषय, छात्र-संख्या एवं सत्रानुसार अस्थायी संबद्धता दिए जाने के संबंध में विस्तृत टीप के साथ, सूची निम्नानुसार है –

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय	छात्र संख्या	सत्र
i.	स्व. राजा वीरेन्द्र बहादूर सिंह शास. महाविद्यालय, सरायपाली, जिला—महासमुंद	M.A. English	30	2023—24
		M.Sc. Zoology	30	
निर्णय: निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित कमियों की पूर्ति सत्रांत तक पूर्ण करने के शर्त पर अस्थायी संबद्धता प्रदान करने की अनुशंसा की गई।				

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय	छात्र संख्या	सत्र
ii.	नवीन शासकीय महाविद्यालय, तामासिवनी, जिला-रायपुर	B.A.-I- (F.C. Hindi, English), Political Science, Economics, History	90	2023-24
		B.Sc.-I- Bio Group (F.C.- Hindi, English), Botany, Zoology, Chemistry	60	
		B.Sc.-I- Maths Group (F.C.- Hindi, English), Chemistry, Maths, Physics	30	
		B.Com.-I- All Compulsory Subject	90	
निर्णय: निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित कमियों की पूर्ति सत्रांत तक पूर्ण करने के शर्त पर अस्थायी संबद्धता प्रदान करने की अनुशंसा की गई।				
क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय	छात्र संख्या	सत्र
iii	शासकीय महाविद्यालय, कंडेल, जिला-धमतरी	B.Sc.-III-Bio Group -(FC- Hindi, English), Botany, Zoology, Chemistry	45	2023-24
		B.Sc.-III-Maths Group-(FC- Hindi, English), Chemistry, Maths, Physics	45	
		B.A.-III- (FC- Hindi, English), Political Science, Economics, Sociology	90	
		B.Com.-III- All Compulsory Subject	90	
निर्णय: निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित कमियों की पूर्ति सत्रांत तक पूर्ण करने के शर्त पर अस्थायी संबद्धता प्रदान करने की अनुशंसा की गई।				
क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय	छात्र संख्या	सत्र
iv	शासकीय आदर्श महाविद्यालय, रायपुर	B.Sc.-II-Bio Group -(FC- Hindi, English), Geology, Chemistry Zoology,	30	2023-24
		B.Sc.-II-Maths Group-(FC- Hindi, English), Physics, Chemistry, Maths,	50	
		B.Sc.-II-Maths Group-(FC- Hindi, English), Geology, Maths, Physics	30	
		B.Com.-II	50	
		B.Com.-II- Computer Application	50	
		B.C.A.-II-	50	
निर्णय: निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित कमियों की पूर्ति सत्रांत तक पूर्ण करने के शर्त पर अस्थायी संबद्धता प्रदान करने की अनुशंसा की गई।				

4. शासकीय पं. श्यामाचरण शुक्ल महाविद्यालय, धरसीवा, रायपुर में संचालित बी.ए., बी.काम., बी.एस-सी., पी.जी.डी.सी.ए. एवं एम.एस-सी. में सीट वृद्धि के संबंध में विचार करना।

निर्णय: शासकीय पं. श्यामाचरण शुक्ल महाविद्यालय, धरसीवा, रायपुर में संचालित पाठ्य बी.ए., बी.काम., बी.एस-सी. (बायो एवं गणित), पी.जी.डी.सी.ए. एवं एम.एस-सी. की पूर्व वर्षों की सीट वृद्धि हेतु वर्तमान सत्र में आवेदन किया गया है। यह त्रुटि भविष्य में पुनः न करने के शर्त पर (1) छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर का आदेश क्र. एफ 3-27/219/38-1 अटल नगर, दिनांक 08.08.2019 (2) छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर का आदेश क्र. एफ 3-88/2021/38-1 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 17.09.2021 (3) छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर का आदेश क्र. एफ 3-88/2021/38-1 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 12.08.2021 (4) छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर जिला-रायपुर का आदेश क्र. एफ 3-56/2022/38-1 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 19.09.2022 के द्वारा सीट वृद्धि आदेश का निम्नानुसार अनुशंसा प्रदान किया गया है :-

क्र.	सत्र	कक्षा का नाम	निर्धारित सीट संख्या	सीट वृद्धि	कुल सीट संख्या
1.	2019-20	बी.कॉम.	50	30	80
2.	2021-22	बी.कॉम.	80	40	120
		बी.ए.	140	50	190
		बी.एस-सी. बायो	80	40	120
		बी.एस-सी. गणित	80	20	100
3.	2021-22	पी.जी.डी.सी.ए.	40	10	50
4	2022-23	पी.जी.डी.सी.ए.	50	10	60
		एम.एस-सी. वनस्पति शास्त्र	15	5	20

5. Ideathon के आयोजन के लिए नवीन विनियम निर्माण हेतु गठित समिति द्वारा प्रस्तावित विनियम पर विचार करना।

निर्णय: Ideathon के आयोजन के लिए प्रस्तावित नवीन विनियम क्रमांक 209 की अनुशंसा की गई।

6. पियाली फाउंडेशन कॉलेज ऑफ स्पेशल एजुकेशन, 1/10, राजीव नगर, पो.आ.-शंकर नगर, रायपुर में B.Ed. Special Education (Intellectual Disabilities) B.Ed. Spl.Ed.(I.D.) Duration Two Years (30 Seats) सत्र 2023-24, 2024-25, 2025-26 की अस्थायी सम्बद्धता के संबंध में विचार करना।

निर्णय: पियाली फाउंडेशन कॉलेज ऑफ स्पेशल एजुकेशन, 1/10, राजीव नगर, पो.आ.-शंकर नगर, रायपुर में B.Ed. Special Education (Intellectual Disabilities) B.Ed. Spl.Ed.(I.D.) Duration Two Years (30 Seats) सत्र 2023-24, 2024-25, 2025-26 की अस्थायी सम्बद्धता के प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेज एवं सम्बद्धता के संबंध में समिति गठित करने हेतु माननीय कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया।

7. शासकीय कला एवं वाणिज्य कन्या महाविद्यालय, देवेन्द्र नगर, रायपुर के नाम परिवर्तन के संबंध में विचार करना।

निर्णय: शासकीय कला एवं वाणिज्य कन्या महाविद्यालय, देवेन्द्र नगर, रायपुर के आवेदन पत्र क्रमांक 793/कार्या./24 रायपुर, दिनांक 08.01.2024 एवं छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर का आदेश क्रमांक एफ 17-15/2022/38-1, नवा रायपुर, दिनांक 01.12.2022 एवं कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय, ब्लॉक सी-3, द्वितीय एवं तृतीय तल, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर का पत्र क्र. 3582/517/आउशि/सम./2023 दिनांक 10.01.2023 के परिपालन में महाविद्यालय का नाम निम्नानुसार संशोधन किए जाने की अनुशंसा की गई :-

पूर्व संचालित नाम	परिवर्तित नाम
शासकीय कला एवं वाणिज्य कन्या महाविद्यालय, देवेन्द्र नगर, रायपुर	श्री गोबिंदराम शदाणी शासकीय कला एवं वाणिज्य कन्या महाविद्यालय, देवेन्द्र नगर, रायपुर

8. भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 11 अप्रैल, 2023 नई दिल्ली एवं विश्वविद्यालय अनुदान अयोग के द्वारा जारी किए गये पत्र क्रमांक D.O.No.F.1.13./2022(CPP-II) dated 5th December 2023/14 अग्रहायण, 1945 के अनुक्रम में विश्वविद्यालय में लोकपाल (Ombudsperson(s)) गठन उपरांत नवीन विनियम STUDENT GRIEVANCE REDRESSAL COMMITTEES AND OMBUDSPERSON की अनुशंसा करना।

निर्णय: विश्वविद्यालय में लोकपाल (Ombudsperson(s)) गठन उपरांत नवीन विनियम क्रमांक-210 STUDENT GRIEVANCE REDRESSAL COMMITTEES AND OMBUDSPERSON की अनुशंसा किया गया।

9. M.Phil. के उपाधि तैयार करने हेतु उपाधि प्रोफार्मा Psychiatric Social Work (मनोरोग सामाजिक कार्य) की अनुशंसा के संबंध में विचार करना।

निर्णय: M.Phil. के उपाधि तैयार करने हेतु उपाधि प्रोफार्मा Psychiatric Social Work (मनोरोग सामाजिक कार्य) में आवश्यक संशोधन के साथ प्रारूप की अनुशंसा की गई।

10. श्रीमती रात्रि लहरी, शोध छात्रा, वाणिज्य द्वारा शोध प्रबंध जमा करने हेतु 20 दिन विलंब से प्रस्तुत आवेदन पत्र के संबंध में विचार करना।

निर्णय: श्रीमती रात्रि लहरी, शोध छात्रा, वाणिज्य द्वारा शोध प्रबंध जमा करने की अनुशंसा की गई।

11. प्रवीण कुमार सोनी, शोध छात्र, क्षेत्रीय अध्ययन का पी-एच.डी. शोध कार्य की समयावधि में वृद्धि/पुनर्पंजीयन के संबंध में विचार करना।

निर्णय: अनुशंसा की गई।

12. दाऊ कल्याण सिंह सोनवानी महाविद्यालय, जी-जामगांव, जिला-धमतरी में 'बी.ए. (भूगोल, समाजशास्त्र) 60 सीट वृद्धि' के स्थान पर 'बी.ए. (भूगोल, समाजशास्त्र) अतिरिक्त विषय 60 सीट' किए जाने के संबंध में विचार करना।

निर्णय: अनुशंसा की गई।

13. सत्र 2023-24 के लिए निम्नलिखित महाविद्यालयों ने वार्षिक संबद्धता एवं वृद्धि शुल्क की राशि विश्वविद्यालय कोष में जमा कर दी है। वार्षिक संबद्धता आदेश प्रदान करने हेतु प्रकरण विद्यापरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत :-

क्रमांक	शासकीय महाविद्यालय
1	स्व. श्री जयदेव सतपथी शास. महा., बसना जिला-महासमुंद
2	महर्षि वेद व्यास शास. महा., भखारा, जिला-धमतरी
3	शास. दू.ब. महिला स्नातकोत्तर महा. कालीबाड़ी चौक, रायपुर
4	शासकीय नवीन महाविद्यालय, पिरदा, जिला-महासमुंद
5	शास. काव्योपाध्याय हीरालाल महावि. अभनपुर
6	शास. आदर्श महाविद्यालय, रायपुर
क्रमांक	अशासकीय महाविद्यालय
1	श्री बीरेन्द्र दीपक शिक्षा, महाविद्यालय, जामगांव, जिला-गरियाबंद (छ.ग.) 493992
2	शाम्भवी स्कूल ऑफ एजुकेशन, देवरभाटा, ग्राम-धुसेरा, अभनपुर, रायपुर
3	काम्पटेक महावि. सोरिद नगर, धमतरी

निर्णय: उपर्युक्त महाविद्यालयों को अंकित सत्र अनुसार अस्थायी वार्षिक संबद्धता प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

पूरक विषयसूची

01. निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन के आधार पर निम्नलिखित महाविद्यालय को उनके नाम के सम्मुख दर्शित कक्षा/विषय, छात्र-संख्या एवं सत्रानुसार अस्थायी संबद्धता दिए जाने के संबंध में विस्तृत टीप के साथ, सूची निम्नानुसार है -

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय	छात्र संख्या	सत्र
i.	शास. नवीन महाविद्यालय, नवागांव, सेक्टर-28, नवा रायपुर, जिला-रायपुर	B.A.-III- (F.C.- Hindi, English), Political Science, Geography, Sociology.	90	2023-24
		B.Sc.-III- Bio-Group-(F.C. Hindi, English), Botany, Zoology, Chemistry	45	
		B.Sc.-III- Maths-Group-(F.C. Hindi, English), Maths, Chemistry, Physics	45	
		B.Com.-III- All Compulsory Subject	90	
निर्णय: निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित कमियों की पूर्ति सत्रांत तक पूर्ण करने के शर्त पर अस्थायी संबद्धता प्रदान करने की अनुशंसा की गई।				

02. विवेकानंद महाविद्यालय, मौदहापारा, रायपुर में संचालित बी.बी.ए., बी.सी.ए., पी.जी.डी.सी.ए., बी.काम. एवं एम.कॉम. स्थायी सम्बद्धता के संबंध में विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 19.12.2023 एवं कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 20.12.2023 के निर्णय के परिपालन में निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन के आधार पर महाविद्यालय को उनके नाम के सम्मुख दर्शित कक्षा/विषय की स्थायी संबद्धता दिए जाने के संबंध में विस्तृत टीप निम्नानुसार है -

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय	सत्र
i.	विवेकानंद महाविद्यालय, मौदहापारा, रायपुर	बी.बी.ए.	2023—24
		बी.सी.ए.	
		पी.जी.डी.सी.ए.	
		बी.काम.	
		एम.काम.	
निर्णय: निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित कमियों की पूर्ति सत्रांत तक पूर्ण करने के शर्त पर स्थायी संबद्धता प्रदान करने की अनुशंसा की गई।			

03. श्री रावतपुरा सरकार कॉलेज ऑफ एजुकेशन, धनेली, माना, रायपुर के स्थान परिवर्तन हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (NCTE) का Shifting Order पत्र क्रमांक F.No. WRC/WRCAPP - 1851/B.ED./392nd/Chhattisgarh/2023/223997 दिनांक 28.08.2023 के संबंध में विचार करना।
निर्णय: राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (NCTE) ने अपने पत्र क्रमांक F.No. WRC/WRCAPP - 1851/B.ED./392nd/Chhattisgarh/2023/223997 दिनांक 28.08.2023 के द्वारा स्थान परिवर्तन पश्चात नवीन पता निम्नानुसार अनुशंसा की गई -

महाविद्यालय का पुराना पता	महाविद्यालय का परिवर्तन पश्चात् नवीन पता
SHRI RAWATPURA SARKAR COLLEGE OF EDUCATION PLOT NO. 581/2 VILL-PACHEDA, POST-KURRU, TEHSIL-ABHANPUR, DIST.-RAIPUR, CHHATTISGARH	SHRI RAWATPURA SARKAR COLLEGE OF EDUCATION, SURVEY NO. 123/1, 132/4, POST-MANA, NEAR SHADANI DARBAR, NEW DHAMTARI ROAD, RAIPUR, CHHATTISGARH

04. Ph.D Thesis Evaluation Report के संशोधित प्रपत्र (Form) पर विचार करना।

निर्णय: Ph.D Thesis Evaluation Report के संशोधित प्रपत्र (Form) में आवश्यक संशोधन के साथ प्रारूप की अनुशंसा की गई।

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य निर्णय

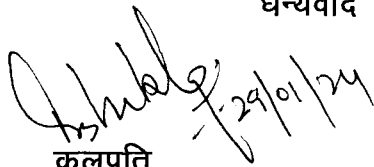
01. संकायाध्यक्ष, इंफॉर्मेशन टेक्नालॉजी संकाय के द्वारा प्रस्तुत Bringing UG courses in Managemnt & Computer Applications under AICTE Regulations पर विचार करना।

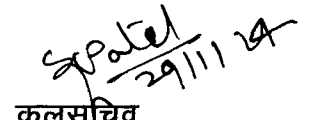
निर्णय: यूजी.सी. नई दिल्ली के पत्र क्र. D.O. No. 2-79/2023 (CPP-II) 8 January, 2024/18 पौष 1945 के संदर्भ में सैद्धांतिक सहमति प्रदान किया गया। साथ ही सभी महाविद्यालयों को BBA/BCA/BMS कोर्स हेतु AICTE से मान्यता हेतु दिनांक 26.02.2024 तक Online आवेदन के लिए सूचित किया जाना है। मान्यता न लेने पर आगामी सत्र में छात्रों का प्रवेश लेने पर सम्पूर्ण जिम्मेदारी महाविद्यालय की होगी।

02. छात्रहित को ध्यान में रखते हुए स्नातक स्तर भाग-1 के विभिन्न विषयों के पाठ्यक्रमों/अंक योजना आदि में परिलक्षित विभिन्न विसंगतियों के संबंध में विचार करना।

निर्णय: विसंगतियों के विभिन्न बिन्दुओं के संदर्भ में बिन्दुवार विधिक अभिमत भी प्राप्त किए जाने की अनुशंसा की गई।

धन्यवाद ज्ञापन करने के साथ बैठक संपन्न हुई।


कुलपति
अध्यक्ष


कुलसचिव
सचिव

पृ. क्रमांक 2463 / अका. / वि.प.स्थायी समिति / 2024
प्रतिलिपि :-

रायपुर, दिनांक 29 / 01 / 2024

1. समस्त संकायाध्यक्षों को,
2. वित्त नियंत्रक/अंकेक्षण,
3. उ.कु.स. परीक्षा/सामान्य प्रशासन/स.कु.स. गोपनीय,
4. संचालक, आई.क्यू.ए.सी.,
5. कुलपति/कुलसचिव के निज सहायक, पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाही हेतु अग्रेषित।


उप-कुलसचिव (अका.)



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक : 2682 अका./वि.प.स्थायी समिति/2024

रायपुर, दिनांक 18/02/2024

विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् के स्थायी समिति की बैठक रविवार, दिनांक 18.02.2024 को पूर्वाह्न 11:00 बजे विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन के कुलपति सचिवालय के सभा-कक्ष में संपन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए -

1. प्रो. सच्चिदानंद शुक्ल, कुलपति	—	अध्यक्ष
2. डॉ. शैल शर्मा	—	सदस्य
3. डॉ. व्यास दुबे	—	सदस्य
4. डॉ. तपेश चंद्र गुप्ता	—	सदस्य
5. डॉ. राजीव चौधरी	—	सदस्य
6. डॉ. (श्रीमती) रश्मि मिंज	—	सदस्य
7. डॉ. संजय जे. डहरवाल	—	सदस्य
8. डॉ. (श्रीमती) अदिति पोद्दार	—	सदस्य
9. डॉ. (श्रीमती) पद्मा बोहरे	—	सदस्य
10. डॉ. संजय कुमार	—	सदस्य
11. डॉ. शैलेंद्र कुमार पटेल, कुलसचिव	—	सचिव

कार्यवृत्त

01. विद्या-परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 29.01.2024 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना।

निर्णय: सम्पुष्टि की गई।

02. विद्या-परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 29.01.2024 के पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय: सूचना ग्रहण की गई।

03. निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन के आधार पर निम्नलिखित महाविद्यालय को उनके नाम के सम्मुख दर्शित कक्षा/विषय, छात्र-संख्या एवं सत्रानुसार अस्थायी संबद्धता दिए जाने के संबंध में विस्तृत टीप के साथ, सूची निम्नानुसार है -

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय	छात्र संख्या	सत्र
i.	शास. मिनीमाता कन्या महा. बलौदाबाजार	M.Sc. III/IV Sem.- Home Science- Food Science & Nutrition	25	2023-24
निर्णय: निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित कमियों की पूर्ति सत्रांत तक पूर्ण करने एवं निरीक्षण प्रतिवेदन के भाग-ब के बिंदु क्र. 14(ii) में समस्त पाठ्यक्रमों से संबंधित प्रश्नपत्रों के अनुसार पुस्तकें उपलब्ध कराने के शर्त पर अस्थायी संबद्धता प्रदान करने की अनुशंसा की गई।				
क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय	छात्र संख्या	सत्र
ii.	सत्य नारायण अग्रवाल शास. कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, कोहका-नेवरा, जिला-रायपुर	M.Sc. I/II Sem.- Chemistry	30	2023-24
		B.A.-I- Geography- Add. Subject	60	
निर्णय: निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित कमियों की पूर्ति सत्रांत तक पूर्ण करने के शर्त पर अस्थायी संबद्धता प्रदान करने की अनुशंसा की गई।				

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय	छात्र संख्या	सत्र
iii.	स्वामी आत्मानंद शास. अंग्रेजी माध्यम आदर्श महाविद्यालय, महासमुंद	बी.ए. (कला संकाय) प्रथम वर्ष —आ. पा.— हिन्दी, अंग्रेजी, अंग्रेजी साहित्य, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र	90	2023—24
		बी.एस—सी. प्रथम वर्ष (गणित समूह) आ.पा.—हिंदी, अंग्रेजी, रसायनशास्त्र, गणित, भौतिकशास्त्र	60	
		बी.एस—सी. (कम्प्यूटर साइंस) प्रथम वर्ष आ.पा.—हिंदी, अंग्रेजी, गणित, कम्प्यूटर भौतिकशास्त्र	60	
		बी.काम. (वाणिज्य संकाय) प्रथम वर्ष— बी.काम. कम्प्यूटर	60	
निर्णय: निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित कमियों की पूर्ति सत्रांत तक पूर्ण करने के शर्त पर अस्थायी संबद्धता प्रदान करने की अनुशंसा की गई।				
क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय	छात्र संख्या	सत्र
iv.	शासकीय आदर्श महाविद्यालय, महासमुंद	B.Sc.-II - Bio Group - (F.C.- Hindi, English), Botany, Zoology, Chemistry	45	2023—24
		B.Sc.-II - Maths Group - (F.C.- Hindi, English), Chemistry, Maths, Physics	45	
		B.A.-II - (F.C.- Hindi, English), Political Science, Economics, History	90	
		B.Com. -II - All Compulsory Subject	90	
निर्णय: निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित कमियों की पूर्ति सत्रांत तक पूर्ण करने के शर्त पर अस्थायी संबद्धता प्रदान करने की अनुशंसा की गई।				
क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय	छात्र संख्या	सत्र
v.	महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक, रायपुर	बी.एस—सी. (सी.एस.) (नवीन विषय)	40	2023—24
		बी.एस—सी. (आई.टी.) (नवीन विषय)	40	
		एम.एस—सी. (आई.टी.) (नवीन विषय)	30	
		एम.ए. हिंदी (नवीन विषय)	30	
		एम.ए. राजनीति विज्ञान (नवीन विषय)	30	
निर्णय: निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित कमियों की पूर्ति सत्रांत तक पूर्ण करने के शर्त पर अस्थायी संबद्धता प्रदान करने की अनुशंसा की गई।				

04. विद्या-परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 29.01.2024 के पूरक विषय सूची बिंदु क्रमांक 04 की अनुशंसानुसार Ph.D Thesis Evaluation Report के संशोधित प्रपत्र (Form) में आवश्यक संशोधन पर विचार करना।

निर्णय: Ph.D Thesis Evaluation Report के पृष्ठ क्रमांक 3 के Detach the sheet if you feel that no questions are to be asked from the candidate को विलोपित करते हुए (5 to 10 question) जोड़कर संशोधित प्रपत्र (Form) की अनुशंसा की गई।



05. पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर से सम्बद्ध शास. दू.ब. कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायपुर के एम.ए. समाजशास्त्र या अंग्रेजी विषय में से किसी एक परीक्षा में प्रथम प्रयास में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रा को सत्र 2018-19 से 'स्व. सुशांता कोदूराम गजपाल स्मृति स्वर्ण-पदक' (LATE. SUSHANTA KODURAM GAJPAL MEMORIAL GOLD MEDAL) प्रदान करने हेतु नवीन विनियम की अनुशंसा करना।

निर्णय: दानदाता श्री कुमारचंद गजपाल एवं श्रीमती कुलेश्वरी गजपाल, ग्राम-सिकोसा, तह.-गुण्डरदेही, जिला-बालोद (छ.ग.) द्वारा 'स्व. सुशांता कोदूराम गजपाल स्मृति स्वर्ण-पदक' (LATE. SUSHANTA KODURAM GAJPAL MEMORIAL GOLD MEDAL) के नाम से सत्र 2018-19 से एम.ए. समाजशास्त्र या अंग्रेजी विषय में से किसी एक परीक्षा में प्रथम प्रयास में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रा को स्वर्ण-पदक प्रदान किए जाने हेतु प्रस्तावित विनियम क्रमांक-211 की अनुशंसा की गई। यह स्वर्ण-पदक 27वें दीक्षांत समारोह से सत्र 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22 एवं 2022-23 प्रदान किए जाने की अनुशंसा की गई।

06. M.Sc. Renewable Energy Technology की Syllabus वर्ष 2024-25 के लिए तैयार पाठ्यक्रम को इलेक्ट्रानिकी अध्ययन मण्डल की बैठक में प्रस्तुत किए जाने के संबंध में विचार करना।

निर्णय: अनुशंसा की गई।

07. विनय चौधरी, शोध छात्र भूगोल द्वारा शोध प्रबंध मूल्यांकन हेतु जमा किए जाने के पूर्व विभागीय शोध उपाधि समिति (DRC) के समक्ष Pre-Presentation के दौरान DRC के द्वारा दिए गए सुझाव को समाहित करने से शोध निर्देशक द्वारा मान्य नहीं किए जाने के संबंध में विचार करना।

निर्णय: अध्यादेश 45 की कंडिका 13 के प्रावधान के अनुसार शोध निर्देशक के निर्णय को अंतिम मान्य किए जाने की अनुशंसा की गई।

08. तुलनात्मक धर्म, दर्शन एवं योगा तथा मूल विज्ञान केन्द्र में संचालित बायोलॉजी पाठ्यक्रमों के नाम परिवर्तन के संबंध में गठित समिति की बैठक दिनांक 12.02.2024 में लिए गए निर्णय की अनुशंसा करना।

निर्णय: तुलनात्मक धर्म, दर्शन एवं योगा तथा मूल विज्ञान केन्द्र में संचालित बायोलॉजी पाठ्यक्रमों के नाम परिवर्तन के संबंध में गठित समिति की बैठक दिनांक 12.02.2024 में लिए गए निर्णय का निम्नानुसार अनुशंसा की गई -

“(1) विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक-184 इंटिग्रेटेड एम.एस-सी. प्रोग्राम ऑफ सी.बी.एस. को सरल क्रमांक-1 में अंकित Physics, Chemistry, Mathematics and Biology के स्थान पर Physics, Chemistry, Mathematics Botany and Zoology समाहित किए जाने की अनुशंसा की जाती है।

(2) अध्यादेश क्रमांक-184 के सरल क्रमांक-2 की कंडिका (iv) Biology को विलोपित कर उसके स्थान पर (iv) Botany (v) Zoology को स्थापित किए जाने की अनुशंसा की जाती है।”

गठित समिति के द्वारा तुलनात्मक धर्म, दर्शन एवं योगा पाठ्यक्रमों के नाम परिवर्तन के संबंध में विचार कर आगामी बैठक में प्रस्तुत किए जाने की अनुशंसा की गई।

09. शिक्षा अध्ययन मण्डल की बैठक दिनांक 15.02.2024 के कार्यवृत्त की अनुशंसा करना।

निर्णय: अनुशंसा की गई।

10. अध्यादेश/परिनियम समिति की बैठक दिनांक 16.02.2024 के कार्यवृत्त के निर्णयानुसार निम्नानुसार नवीन अध्यादेश की अनुशंसा करना -

(1) Integrated Teacher Education Program (I.T.E.P.) B.A.B.Ed. Course,

(2) Integrated Teacher Education Program (I.T.E.P.) B.Sc. B.Ed. Course एवं

(3) Integrated Teacher Education Program (I.T.E.P.) B.Com. B.Ed. Course

निर्णय: नवीन अध्यादेश की निम्नानुसार अनुशंसा की गई।

(1) Ordinance No.- 207 - Integrated Teacher Education Program (I.T.E.P.) B.A.B.Ed. Course,

(2) Ordinance No.- 208 - Integrated Teacher Education Program (I.T.E.P.) B.Sc. B.Ed. Course एवं

(3) Ordinance No.- 209 - Integrated Teacher Education Program (I.T.E.P.) B.Com. B.Ed. Course

11. अध्यादेश/परिनियम समिति की बैठक दिनांक 16.02.2024 के कार्यवृत्त के निर्णयानुसार राजभवन के पत्र क्र. 4180/5390/2023/रास/यू-1, दिनांक 28.07.2023 के सापेक्ष प्रस्तावित संशोधित अध्यादेश क्रमांक 178 के संबंध में विचार करना।

निर्णय: उपसचिव, राजभवन के पत्र क्रमांक राजभवन के पत्र क्र. 4180/5390/2023/रास/यू-1, दिनांक 28.07.2023, अपर संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, रायपुर के पत्र क्रमांक 4160/1407/सम./23, दिनांक 16.08.2023 के सापेक्ष प्रस्तावित संशोधित अध्यादेश क्र. 178 M.Tech. in Opto Electronics & Laser Technology की अनुशंसा की गई।

12. B.Sc. Forensic Science एवं M.Sc. Forensic Science प्रारंभ करने की अनुमति एवं परिनियम व अध्यादेश में निम्नांकित संशोधन प्रस्तावित है –

Statute/Ordinance	प्रस्तावित संशोधन	औचित्य
Statute No.-10- Board of Studies	Name of faculty Sr. No. 3 Faculty of Science में नया सरल क्रमांक 11 Forensic Science	B.Sc. Forensic Science एवं M.Sc. Forensic Science प्रारंभ किया जाना है।
Revised Ordinance No. 21 Bachelor of Science	कंडिका 6(2) में निम्नलिखित विषय समूह सम्मिलित किया जाना है – • Forensic Science, Physics & Chemistry. • Forensic Science, Chemistry & Botany. • Forensic Science, Chemistry & Zoology. • Forensic Science, Chemistry & Anthropology. • Forensic Science, Botany & Anthropology. • Forensic Science, Zoology & Anthropology. • Forensic Science, Chemistry & Biochemistry. • Forensic Science, Chemistry & Microbiology. • Forensic Science, Chemistry & Biotechnology. • Forensic Science, Chemistry & Mathematics. • Forensic Science, Chemistry & Geology. • Forensic Science, Chemistry & Computer Science	
Revised Ordinance No. 170 Ordinance for Semester System	कंडिका 2(j) में निम्नलिखित प्रावधान सम्मिलित किया जाना है – j) For admission in M.Sc. Forensic Science a candidate must have a Bachelor's degree in Science, Forensic Science, Medical Science, Engineering, Pharmacy, Dentistry, Ayush.	

निर्णय: B.Sc. Forensic Science एवं M.Sc. Forensic Science प्रारंभ करने की अनुमति एवं परिनियम व अध्यादेश में निम्नानुसार अनुशंसा की गई –

- (1) B.Sc. Forensic Science एवं M.Sc. Forensic Science प्रारंभ करने की अनुशंसा की गई।
- (2) Statute No.-10- Board of Studies में Name of faculty Sr. No. 3 Faculty of Science में नया सरल क्रमांक 11 Forensic Science सम्मिलित किए जाने की अनुशंसा की गई।
- (3) Revised Ordinance No. 21 Bachelor of Science में कंडिका 6(2) में विषय समूह का संशोधित प्रस्ताव आगामी बैठक में प्रस्तुत किए जाने की अनुशंसा की गई।
- (4) Revised Ordinance No. 170 Ordinance for Semester System में कंडिका 2(j) में निम्नलिखित प्रावधान – j) For admission in M.Sc. Forensic Science a candidate must have a Bachelor's degree in Science, Forensic Science, Medical Science, Engineering, Pharmacy, Dentistry, Ayush. सम्मिलित किए जाने की अनुशंसा की गई।



13. प्रबंध संस्थान में प्रस्तावित नवीन पाठ्यक्रम B.Com., M.Com. एवं B.B.A. प्रारंभ करने के संबंध में विचार करना।

निर्णय: प्रबंध संस्थान में आगामी शिक्षा सत्र 2024-25 से नवीन पाठ्यक्रम B.Com., M.Com. एवं B.B.A. स्ववित्तीय मद से प्रारंभ किए जाने की अनुशंसा की गई।

14. प्रबंध अध्ययन मण्डल की बैठक दिनांक 15.02.2024 के कार्यवृत्त की अनुशंसा करना।

निर्णय: प्रबंध अध्ययन मण्डल की बैठक दिनांक 15.02.2024 को आयोजित बैठक में लिए गए निर्णय की अनुशंसा निम्नानुसार किया गया :-

1. छात्रों के ज्ञापन एवं छात्रहित को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय के B.B.A. पाठ्यक्रम का अध्यादेश क्रमांक-91 की बिन्दु क्रमांक-14 पर विचार किया गया एवं अनुशंसा की गई कि छात्र/छात्राएँ 4th Sem. ATKT की परीक्षा 6th Sem. के साथ ही देता है और 6th Sem. का परीक्षा आवेदन ना भर पाने की स्थिति में छात्र/छात्रा का 01 वर्ष खराब हो जाता है।

अतः छात्र/छात्रा को 4th Sem. ATKT की परीक्षा के साथ B.B.A 6th Sem.. की परीक्षा फार्म भरने की अनुमति प्रदान की जाए और 6th Sem.. का परीक्षा परिणाम तभी घोषित किया जाए जब वह 4th Sem. ATKT का परीक्षा उत्तीर्ण कर ले।

2. मास्टर ऑफ होटल मैनेजमेंट (द्वि-वर्षीय) पाठ्यक्रम शिक्षा सत्र 2024-25 से प्रारंभ किया जाने हेतु पाठ्यक्रम का अनुमोदन किया गया है।

15. सत्र 2023-24 के लिए निम्नलिखित महाविद्यालयों ने वार्षिक संबद्धता एवं वृद्धि शुल्क की राशि विश्वविद्यालय कोष में जमा कर दी है। वार्षिक संबद्धता आदेश प्रदान करने हेतु प्रकरण विद्यापरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत :-

क्रमांक	शासकीय महाविद्यालय
1	बी.सी.एस. शास. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, धमतरी
2	राजीव गांधी शास. कालेज, सिमगा, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा
3	शास. नवीन महाविद्यालय, आमदी, जिला-धमतरी
4	शास. दाऊ कल्याण कला एवं वाणिज्य स्नातकोत्तर महा. बलौदाबाजार (सत्र 2019-20, 2020-21, 2022-23)
क्रमांक	अशासकीय महाविद्यालय
1	कृती स्कूल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, नरदहा, रायपुर

निर्णय: उपर्युक्त महाविद्यालयों को अंकित सत्र अनुसार अस्थायी वार्षिक संबद्धता प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य निर्णय

01. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग रेगुलेशन-2018 के तहत विश्वविद्यालय के शिक्षकों तथा समकक्ष संवर्ग की सीधी भर्ती तथा कैरियर एडवांसमेंट स्कीम के तहत किए जाने वाले प्रमोशन से संबंधित बिन्दुओं के अनुमोदन के संबंध में विचार करना।

निर्णय: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग रेगुलेशन-2018 के तहत पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में शिक्षकों तथा समकक्ष संवर्ग के कैरियर एडवांसमेंट स्कीम के तहत किए जाने वाले प्रमोशन तथा सीधी भर्ती के पदों के संबंध में निम्नलिखित अनुशंसा की गई -

1. विश्वविद्यालय ग्रंथपाल के विभिन्न लेवल पर प्रमोशन हेतु प्रस्तावित आवेदन प्रपत्र की अनुशंसा की गई।

2. अध्ययनशालाओं में कार्यरत शिक्षकों के प्रमोशन प्रपत्र में आंशिक परिवर्तन करते हुये यूजीसी-मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण केन्द्र में पदस्थ शिक्षकों के कैरियर एडवांसमेंट स्कीम के तहत प्रमोशन हेतु प्रस्तावित आवेदन प्रपत्र की अनुशंसा की गई।

3. कैरियर एडवांसमेंट स्कीम के तहत एशोसिएट प्रोफेसर तथा प्रोफेसर के पदों पर प्रमोशन में चयन समिति के मूल्यांकन हेतु प्रस्तावित अंक विभाजन की अनुशंसा की गई।

4. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के रेगुलेशन-2018 (Appendix II, Table 2) में Matter Related to Research Score (रिसर्च स्कोर) Augmentation के लिए निर्णय लेने हेतु।
UGC Regulation 2018 में Research Score Augmentation हेतु निम्न प्रावधान वर्णित है-

The Research score for research papers would be augmented as follows:
Peer-Reviewed or UGC-listed Journals [Impact factor to be determined as per Thomson Reuters (Clarivate Analytics) list]

i.	Paper in refereed journals without impact factor	-	05 Points
ii.	Paper with impact factor less than 1	-	10 Points
iii.	Paper with impact factor between 1 and 2	-	15 Points
iv.	Paper with impact factor between 2 and 5	-	20 Points
v.	Paper with impact factor between 5 and 10	-	25 Points
vi.	Paper with impact factor >10	-	30 Points.

उक्त प्रावधान की कंडिका (i) के संबंध में यह स्पष्ट नहीं है कि

- (a) Thomson Reuters लिस्ट में शामिल तथा बिना Impact Factor वाले Journals के लिए अतिरिक्त 5 अंक दिया जाना है, अथवा
- (b) कोई भी Refereed Journals जिसका Impact Factor नहीं है उसके लिए अतिरिक्त 5 अंक दिया जाना है।

(a) अमान्य करते हुए (b) को मान्य किए जाने की अनुशंसा की गई।

5. छ.ग. विश्वविद्यालय अधिनियम के खण्ड-49 के उपखण्ड 2(ii)

- (ii) Three experts in the concerned subject nominated by the Kulapati out of the panel approved by the Academic Council of the University
के अंतर्गत चयन समिति हेतु सदस्य विभागाध्यक्ष और संकायाध्यक्ष से सलाह लेकर कुलपति जी को एकेडमिक काउंसिल से विषय विशेषज्ञों का पेनल तैयार कर आगामी बैठक में प्रस्तुत किए जाने हेतु अधिकृत किए जाने की अनुशंसा की गई।

6. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग रेगुलेशन-2018 के कंडिका

6.0 SELECTION PROCEDURE:

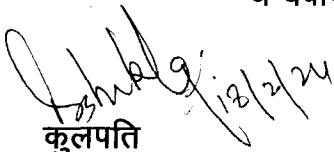
- IV. The process of selection of a Professor shall involve the inviting of the application developed by the respective university, based on the Assessment Criteria and Methodology guidelines set out in these Regulations in Appendix II, Table 1 and 2 and reprints of all significant publications of the candidates.

Provided that the publications submitted by the candidate shall have been published during the qualifying period.

Provided further that such publications shall be made available to the subject experts for assessment before holding the interview. The evaluation of the publications by the experts shall be taken into consideration while finalizing the outcome of selection.

के दृष्टिगत प्रोफेसर के पद पर प्रमोशन तथा सीधी भर्ती दोनों में साक्षात्कार के पहले विशेषज्ञ से अम्यर्थी के प्रकाशन का मूल्यांकन कराये जाने पर तथा मूल्यांकन रिपोर्ट साक्षात्कार के पूर्व चयन समिति को उपलब्ध कराए जाने की अनुशंसा की गई।

धन्यवाद ज्ञापन करने के साथ बैठक संपन्न हुई।


कुलपति
अध्यक्ष


कुलसचिव
सचिव

पृ. क्रमांक : 2683 / अका. / वि.प.स्थायी समिति / 2024

रायपुर, दिनांक 18 / 02 / 2024

प्रतिलिपि :-

1. समस्त संकायाध्यक्षों को,
2. वित्त नियंत्रक / अंकेक्षण,
3. उ.कु.स. परीक्षा / सामान्य प्रशासन / स.कु.स. गोपनीय,
4. संचालक, आई.क्यू.ए.सी.,
5. कुलपति / कुलसचिव के निज सहायक, पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाही हेतु अग्रेषित।


उप-कुलसचिव (अका.)